

## परिशिष्ट-1

### राज्य रूपरेखा

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्र	55673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना के अनुसार ( 2001 )	0.61 करोड़
	ख 2011	0.69 करोड़
3	( क ) जनसंख्या की सघनता ( 2001 ) ( अखिल भारतीय सघनता=325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी० ) *	109 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
	( ख ) जनसंख्या की सघनता ( 2011 ) ( अखिल भारतीय औसत-382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी० ) *	123 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 27.5% )*	10%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8% )*	76.50%
	(ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 74% )*	83.78%
6	गिनी गुणांक <sup>@</sup>	
	क ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.28)	0.28
	ख शहरी (अखिल भारतीय = 0.37)	0.35
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2012-13	72076
8	सकल राज्य घरेलू उत्पादसंयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2003-04से2012-13)	13.28
ख	वित्तीय आंकड़े	
	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2003-04से 2012-13)	
	क राजस्व प्राप्तियां	14.63
	ख कर राजस्व	16.74
	ग कर-भिन्न राजस्व	16.78
	घ कुल व्यय	11.27
	ड. पूंजीगत व्यय	9.55
	च शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.50
	छ: स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	12.39
	ज वेतन एवं मजदूरी	11.78
	झ पेंशन	16.93

\*दिल्ली, गोआ तथा पुदुचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी राज्यों पर आधारित।

<sup>@</sup> स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग व एन०एस०एस०ओ० आंकड़े, 61 वां राउण्ड), गिनी गुणांक (योजना आयोग व एन०एस०एस०ओ० आंकड़े का गैर-सरकारी आकलन, 61 वां राउण्ड 2004-05 एम०आर०पी० और 2009-10, 66 वां राउण्ड), जनसंख्या का घनत्व (भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय), साक्षरता (भारत के महापंजीयक का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय) तथा हिमाचल प्रदेश का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

## परिशिष्ट-1.1

### भाग-क

#### सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

**सरकारी लेखों की संरचना:** राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि;(ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

**भाग I: समेकित निधि:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

**भाग II: आकस्मिकता निधि:** संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

**भाग III: लोक लेखा:** लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

## परिशिष्ट-1.1

## भाग-ख :वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2012-13 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

	रूपरेखा
<b>खण्ड I</b>	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि) कार्य व स्वरूप द्वारा लेखा टिप्पणियां परिशिष्टA: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
<b>खण्ड II</b>	
<b>भाग I</b>	
विवरणी 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
<b>भाग II</b>	
विवरणी 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	लघु शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	चिह्नित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी
<b>भाग III:परिशिष्ट</b>	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
IV	सहायता अनुदान (स्कीम वार व संस्था वार)
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय व राज्य योजनागत स्कीमों)
VII	कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण
VIII	शेषों का सारांश
IX	सिंचाई स्कीमों के वित्तीय परिणाम
X	अपूर्ण कार्य
XI	वेतन व गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुक्षण व्यय

## परिशिष्ट-1.2

### भाग-क

#### राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2008-13 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में प्रवृत्तियों का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनकी व्यावहारिता पर अभ्युक्तियों की गई हैं। राज्य के वित्त की इसकी पुनर्संरचना योजना में 13वें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय पूर्णयोगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपणों को भी बनाया। इसके अतिरिक्त, 13वें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय पूर्णयोगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ 13वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया है। यह पूर्वानुमान करते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद<sup>1</sup> को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का प्रतिमान इत्यादि का आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय पूर्णयोगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2004-05 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

<sup>1</sup>सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उत्पादन के समस्त अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

गत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( ₹करोड़ )	41483	48188	56355	63812	72076(ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ( प्रतिशत में )	22.1	16.16	16.95	13.23	12.95
स्रोत: आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।					

राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{विगत वर्ष के राजकोषीय दायित्वों} + \text{चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्वों की राशि}) 2] * 100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{अथ शेष} + \text{ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष}) 2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियां घटाएं मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

## परिशिष्ट-1.2

### भाग-ख

#### राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 ( 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित )

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकतर पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को खत्म करना तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना तथा उसके पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर तक अथवा उससे कम पर बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2012-13 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 44.4 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से नीचे दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण कद्दरने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

## परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1,1.3 तथा 1.9.2; पृष्ठ:1,13 व 34)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>भाग-क: प्राप्तियाँ</b>										
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>3,981</b>	<b>4,635</b>	<b>6,559</b>	<b>7,835</b>	<b>9,142</b>	<b>9,308</b>	<b>10,346</b>	<b>12,711</b>	<b>14,543</b>	<b>15,598</b>
( i ) कर राजस्व	984 (25)	1,252 (27)	1,497 (23)	1,656 (21)	1,958 (21)	2,242 (24)	2,574(25)	3,643(29)	4,108 (28)	4,626 (30)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	437 (44)	542 (43)	727 (49)	914 (55)	1,092 (56)	1,246 (56)	1,487(58)	2,101(58)	2,477 (60)	2,728 (59)
राज्य आबकारी	280 (29)	300 (24)	329 (22)	342 (21)	389 (20)	432 (19)	500(19)	562(15)	707 (17)	810 (18)
वाहन कर	78 (8)	108 (9)	102 (7)	106 (6)	114 (6)	136 (6)	134(5)	163(4)	176 (4)	196 (4)
स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	52(5)	75(6)	82(5)	93(6)	87 (4)	98 (4)	113(4)	133(4)	155 (4)	173 (4)
विद्युत कर एवं शुल्क	17 (2)	88 (7)	89 (6)	30 (2)	82 (4)	79 (4)	39(2)	302(8)	185 (5)	262 (6)
भू-राजस्व	1 (-)	3 (-)	1 (-)	2 (-)	2 (-)	20 (1)	15(1)	5(0.1)	18 (11)	24 (-)
माल व यात्री कर	34 (3)	38 (3)	43 (3)	50 (3)	55 (3)	62 (3)	89(3)	93(3)	94 (2)	101 (2)
अन्य कर	85 (9)	98 (8)	124 (8)	119 (7)	137 (7)	169 (7)	197(8)	284(8)	296 (7)	332 (7)
( ii ) कर-भिन्न राजस्व	292 (7)	611 (13)	690(11)	1,337(17)	1,823 (20)	1,756(19)	1,784(17)	1,695(13)	1,915 (13)	1,377 (9)
( iii ) संघीय व्हरों व शुल्कों में राज्यांश	450(11)	537(12)	493(7)	629(8)	794 (9)	838 (9)	862 (8)	1,715(13)	1999 (14)	2282 (14)
( iv ) भारत सरकार से सहायता अनुदान	2,255(57)	2,235(48)	3,879(59)	4,213(54)	4,567(50)	4,472(48)	5,126(50)	5,658(45)	6,521 (45)	7313 (47)
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	--	--	--	--	--	---	--	646	--	-
<b>3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>21</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ ( 1+2+3 )</b>	<b>4,009</b>	<b>4,661</b>	<b>6,581</b>	<b>7,858</b>	<b>9,168</b>	<b>9,329</b>	<b>10,380</b>	<b>13,430</b>	<b>14,568</b>	<b>15,619</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>3,762</b>	<b>2,677</b>	<b>1,781</b>	<b>2,080</b>	<b>1,849</b>	<b>2,249</b>	<b>2,553</b>	<b>2,411</b>	<b>1,984</b>	<b>3,371</b>
ऑंतरिक ऋण ( अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,473(92)	2,444(91)	1,753(98)	2,042(98)	1,798 (97)	2,237 (99)	2,484 (97)	2,372 (98)	1,904 (96)	3,239 (96)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	--	--	--	-	--	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	289(8)	233(9)	28(2)	38(2)	51 (3)	12 (1)	69(3)	39	80 (4)	132 (4)
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ ( 4+5 )</b>	<b>7,771</b>	<b>7,338</b>	<b>8,362</b>	<b>9,938</b>	<b>11,017</b>	<b>11,578</b>	<b>12,933</b>	<b>15,841</b>	<b>16,552</b>	<b>18,990</b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>5,033</b>	<b>5,030</b>	<b>4,933</b>	<b>5,265</b>	<b>6,223</b>	<b>6,760</b>	<b>6,821</b>	<b>8,507</b>	<b>9,237</b>	<b>9,146</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ ( 6+7+8 )</b>	<b>12,804</b>	<b>12,368</b>	<b>13,295</b>	<b>1,5203</b>	<b>17,240</b>	<b>18,338</b>	<b>19,754</b>	<b>24,348</b>	<b>25,789</b>	<b>28,136</b>

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>भाग ख. व्यय/संवितरण</b>										
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>5,588</b>	<b>5,793</b>	<b>6,466</b>	<b>7,644</b>	<b>8,292</b>	<b>9,438</b>	<b>11,151</b>	<b>13,946</b>	<b>13,898</b>	<b>16,174</b>
योजनागत	840(15)	978(17)	1,182(18)	1,325(17)	1,202 (14)	877 (9)	1,238(11)	1,652(12)	1,701 (12)	2079 (13)
आयोजनेतर	4,748(85)	4,815(83)	5,284(82)	6,319(83)	7,090 (86)	8,561 (91)	9,913 (89)	12,294(88)	12,197(88)	14095 (87)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	2,483(44)	2,723(47)	2,818(42)	3,300(43)	3,429 (41)	3,918 (42)	4,377(39)	5,279(38)	5,690 (41)	6618 (41)
सामाजिक सेवाएं	1,933(35)	1,890(33)	2,309(36)	2,586(34)	2,876 (35)	3,332 (35)	3,902(35)	4,979(35)	5,147 (37)	6131 (38)
आर्थिक सेवाएं	1,169(21)	1,177(20)	1,333(21)	1,755(23)	1,984 (24)	2,184 (23)	2,868 (26)	3,682(26)	3,049 (22)	3418 (21)
सहायता अनुदान व अंशदान	3(-)	3(-)	6(-)	3(-)	3 (-)	4 (-)	4 (-)	6(-)	12 (-)	7 (-)
<b>11. पूंजीगत व्यय</b>	<b>785</b>	<b>654</b>	<b>821</b>	<b>1,110</b>	<b>1,414</b>	<b>2,079</b>	<b>1,943</b>	<b>1,789</b>	<b>1,810</b>	<b>1,955</b>
योजनागत	781(100)	630(96)	820(100)	1,043(94)	1,313 (93)	1,992 (96)	1,895(98)	1,774(99)	1,764 (97)	1859 (95)
आयोजनेतर	(-4)	24(4)	1(-)	67(6)	101 (7)	87 (4)	48(2)	15(1)	46 (3)	96 (5)
सामान्य सेवाएं	23(3)	30(5)	52(6)	61(5)	59 (4)	64 (3)	63(3)	73(4)	73 (4)	74 (4)
सामाजिक सेवाएं	304(39)	330(50)	369(45)	575(52)	586 (42)	833 (40)	610(31)	611(34)	372 (21)	436 (22)
आर्थिक सेवाएं	458(58)	294(45)	400(49)	474(43)	769 (54)	1,182 (57)	1,270(65)	1,105(62)	1,365 (75)	1445 (74)
<b>12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>227</b>	<b>493</b>	<b>469</b>
<b>13. जोड़ ( 10+11+12 )</b>	<b>6,393</b>	<b>6,471</b>	<b>7,301</b>	<b>8,780</b>	<b>9,720</b>	<b>11,607</b>	<b>13,164</b>	<b>15,962</b>	<b>16,201</b>	<b>18,598</b>
<b>14. लोक ऋण की चुकौतियां</b>	<b>1,855</b>	<b>1,659</b>	<b>1,308</b>	<b>1,311</b>	<b>937</b>	<b>885</b>	<b>867</b>	<b>870</b>	<b>1,128</b>	<b>2,117</b>
आंतरिक ऋण ( अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छणेड़कर)	763 (41)	581 (35)	1,219 (93)	1,182 (90)	839	829	811	808	1,034	2056
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	152 (8)	95 (6)	23 (2)	--	42	--	--	--	--	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	940 (51)	983(59)	66 (5)	129 (10)	56	56	56	62	94	61
<b>15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>
<b>16. समेकित निधि में से कुल संवितरण ( 13+14+15 )</b>	<b>8,248</b>	<b>8,130</b>	<b>8,609</b>	<b>10,091</b>	<b>10,657</b>	<b>12,492</b>	<b>14,031</b>	<b>16,832</b>	<b>17,329</b>	<b>20,715</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>
<b>18. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>4,789</b>	<b>4,027</b>	<b>4,387</b>	<b>5,370</b>	<b>5,737</b>	<b>5,690</b>	<b>6,421</b>	<b>7,162</b>	<b>8,526</b>	<b>8,285</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण ( 16+17+18 )</b>	<b>13,037</b>	<b>12,157</b>	<b>12,996</b>	<b>15,461</b>	<b>16,394</b>	<b>18,182</b>	<b>20,452</b>	<b>23,994</b>	<b>25,855</b>	<b>29,000</b>



	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>भाग ग. घाटा</b>										
20. राजस्व घाटा ( - )/राजस्व अधिशेष ( + ) ( 1-10 )	(-) 1,607	(-) 1,158	(+) 93	(+) 191	(+) 850	(-) 130	(-) 805	(-)1235	(+) 645	(-) 576
21. राजकोषीय घाटा ( - )/राजकोषीय अधिशेष ( + ) ( 4-13 )	(-) 2,384	(-) 1,810	(-) 720	(-) 922	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2,784	(-)2,532	(-) 1,633	(-) 2979*
22. प्राथमिक घाटा ( - )/अधिशेष ( + ) ( 21+23 )	(-) 911	(-) 169	(+) 843	(+) 747	(+) 1,151	(-) 384	(-) 828	(-)582	(+) 497	(-) 609
<b>भाग घ: अन्य आंकड़े</b>										
23. ब्याज अदायगियां ( राजस्व व्यय में सम्मिलित )	1,473	1,641	1,563	1,669	1,703	1,894	1,956	1,950	2,130	2370
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	273	275	380	399	467	582	718	849	981	1203
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष ( दिवस )	250	120	13	01	--	--	--	--	--	-
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम ( दिवस )		93	13	01	--	--	--	--	--	-
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष ( दिवस )		27	-	-	--	--	--	--	--	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	7.13	2.34	0.32	0.89	--	--	--	--	--	-
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद <sup>@</sup>	20,721 (9.6)	24076 (16.29)	27127 (12.7)	30280 (11.6)	33,962 (12.2)	41,483 (22.1)	48188 (16.16)	56355 (16.95)	63812 (13.23)	72076 (12.95)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व ( वर्षान्त )	14437	16533	17432	18071	19,419	21,819	23,713	26,415	28,228	30442
29. बकाया प्रत्याभूतियां ( वर्षान्त ) ( ब्याज सहित )	4,682	4,751	3,587	2,976	2,632	2,291	1,949	3,910	3,316	3353
30. प्रत्याभूतिक अधिकतम राशि ( वर्षान्त )	6,144	6,409	5,526	6,347	6,450	6,076	4,361	6,232	6,208	9455
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	14	39	15	30	20	17	29	11	13	12
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	46	58	25	160	121	96	108	86	930	115
<b>भाग ड: राजकोषीय स्थिरता सूचक</b>										
<b>I संसाधन गतिशीलता</b>										
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03

\* वास्तविक ₹2978.41

@ सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>II व्यय प्रबन्धन</b>										
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.30	0.27	0.27	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25	0.26
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.6	1.4	1.11	1.12	1.06	1.25	1.27	1.26	1.11	1.19
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.87	0.90	0.89	0.87	0.85	0.81	0.85	0.87	0.86	0.86
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.3	0.37	0.36	0.36	0.36	0.34	0.35	0.34	0.35
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.25	0.23	0.24	0.25	0.28	0.29	0.31	0.30	0.27	0.26
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.12	0.10	0.11	0.13	0.15	0.18	0.15	0.11	0.11	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.12	0.10	0.11	0.12	0.14	0.17	0.14	0.11	0.11	0.10
<b>III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्धन ( प्रतिशत में )</b>										
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 7.76	(-) 5.02	(+) 0.37	(+) 0.67	2.50	(-) 0.31	(-) 1.67	(-) 2.19	(+) 1.01	(-) 0.80
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 11.51	(-) 7.86	(-) 2.83	(-) 3.26	(-) 1.63	(-) 5.49	(-) 5.78	(-) 4.49	(-) 2.56	(-) 4.13
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 4.40	(-) 0.70	3.11	2.47	3.39	(-) 0.93	(-) 1.72	(-) 1.03	(+) 0.78	(-) 0.84
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	67.41	63.98	(-) 12.92	(-) 20.72	NA	(-) 5.71	(-) 28.92	(-) 48.78	NA	19.34
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)					(-) 0.025	(-) 0.049	(-) 0.059	(-) 0.058	(-) 0.024	0.041
<b>IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन</b>										
राजकोषीय दायित्वों/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.70	0.69	0.64	0.60	0.57	0.53	0.50	0.47	0.44	0.42
राजकोषीय दायित्वों/राजस्व प्राप्ति	3.63	3.57	2.66	2.31	2.12	2.34	2.29	2.07	1.94	1.95
प्रमात्रा विस्तार के प्रति प्राथमिक घाटा					1.741	(-) 0.153	(-) 0.823	(-) 0.284	(+) 0.250	(-) 0.44
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां					1.02	0.92	0.94	0.22	0.23	0.26
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक</b>										
निवेश पर प्रतिफल	0.50	0.58	28.61	1.80	0.52	89.58	73.49	64.11	85.65	100.09
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(-) 2262	(-) 1585	(-) 191	(-) 281	(+) 113	(-) 1,423	(-) 2,642	(-) 2607	(-) 1,529	-3,284
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.53	0.51	0.54	0.57	0.60	0.68	0.67	0.66	0.70	0.70

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर</b>										
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	5588	5793	6466	7644	8,292	9,438	11,151	13946	13898	16174
वृद्धि दर (प्रतिशत) राजस्व व्यय	8.69	3.67	11.61	18.22	8.48	13.82	18.15	25.06	(-) 0.34	16.38
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	4748	4815	5284	6319	7,090	8,561	9,913	12294	12197	14095
वृद्धि दर (प्रतिशत) आयोजनेतर राजस्व व्यय	26.44	1.41	9.74	19.59	12.20	20.75	15.79	24.01	(-) 0.79	15.56
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	840	978	1182	1325	1,202	877	1,238	1652	1701	2079
वृद्धि दर (प्रतिशत) योजनागत राजस्व व्यय	(-) 39.39	16.43	20.86	12.10	(-) 9.28	(-) 27.04	41.16	33.44	2.97	22.22
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	26.29	23.96	23.60	22.33	20.88	20.64	20.57	21.81	19.11	19.56
राजस्व व्यय/कुल व्यय <sup>2</sup> (प्रतिशत)	87.68	89.86	88.73	87.32	85.43	81.95	85.16	88.63	85.78	86.97
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	74.27	74.41	72.37	71.97	72.94	73.76	75.30	77.02	75.29	75.79
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	119.27	103.88	80.56	80.65	77.55	91.97	95.81	96.72	83.87	90.36
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	84.97	83.12	81.72	82.67	85.50	90.70	88.90	88.15	87.76	87.15
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	15.03	16.88	18.28	17.33	14.50	9.30	11.10	11.85	12.24	12.85
<b>के साथ राजस्व व्यय की उत्लावकता</b>										
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.91	0.23	0.914	1.575	0.70	0.63	1.123	1.48	(-) 0.015	1.26
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.988	0.223	0.280	0.937	0.51	7.59	1.63	1.09	(-) 0.02	2.26
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	0.33	2.60	1.19	0.93	0.70	0.67	1.15	1.04	(-) 0.43	1.05
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	(-) 0.22	0.22	0.56	1.51	(-) 0.91	(-) 0.51	0.44	0.75	(-) 0.12	0.74

कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के जोड़ की प्रतिशतताओं (पूर्णांक) को दर्शाते हैं।

<sup>2</sup> कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

**परिशिष्ट-1.4**

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1 पृष्ठ 2)

**भाग-क**

वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण					
2011-12		2012-13			2011-12		2012-13			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>प्रवर्ग-क राजस्व</b>										
I-राजस्व प्राप्तियां		14542.86		15598.12	I-राजस्व व्यय	13897.97	14095.23	2079.02	16174.25	16174.25
(i) कर राजस्व	4107.92		4626.15		सामान्य सेवाएं	5690.00	6571.26	46.93	6618.19	
(ii) कर-फिन् राजस्व	1915.20		1376.88		सामाजिक सेवाएं	5147.45	4852.53	1278.55	6131.08	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राश्यांश	1998.37		2282.02		शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2990.15	2902	537.42	3439.42	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	2646.86		2526.31		स्वस्थ एवं परिवार कल्याण	797.30	791.10	160.59	951.69	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	3342.38		4179.08		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	643.62	702.17	196.89	899.06	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	532.13		607.68		सूचना एवं प्रसारण	21.42	28.90	0.40	29.30	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	103.38	10.60	55.97	66.57	
					श्रम एवं श्रम कल्याण	44.21	44.77	6.47	51.24	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	536.81	360.85	316.94	677.79	
					अन्य	10.56	12.14	3.87	16.01	
					<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>3048.55</b>	<b>2664.27</b>	<b>753.53</b>	<b>3417.80</b>	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमलाप	1101.85	731.94	464.46	1196.40	
					ग्रामीण विकास	357.53	257.06	109.87	366.93	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	261.32	274.02	6.76	280.78	
					ऊर्जा	150.88	230.41	0.84	231.25	
					उद्योग एवं खनिज	57.16	35.73	33.04	68.77	
					परिवहन	1062.18	1087.84	109.92	1197.76	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.28	2.87	2.31	5.18	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	51.35	44.40	26.33	70.73	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	11.97	7.18	-	7.18	
<b>योग</b>		<b>14542.86</b>		<b>15598.12</b>	<b>योग</b>	<b>13897.97</b>			<b>16174.25</b>	<b>16174.25</b>
II-प्रवर्ग-ख को लाया गया राजस्व घाटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	644.89			(-)576.13	
<b>योग:</b>		<b>14542.86</b>		<b>15598.12</b>	<b>योग</b>	<b>14542.86</b>			<b>15598.12</b>	<b>15598.12</b>

प्राप्तियां					संवितरण					
2011-12		2012-13			2011-12		2012-13			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग- ख- पूंजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		634.86		568.72	III- भारतीय रिजर्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--			-	IV- पूंजीगत परिव्यय	1809.83	95.53	1859.27	1954.80	1954.80
					सामान्य सेवाएं	73.30	7.18	66.38	73.56	
					सामाजिक सेवाएं	371.87	-	435.74	435.74	
					शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	97.73	-	144.90	144.90	
					स्वस्थ एवं परिवार कल्याण	29.19	-	54.79	54.79	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	225.37	-	223.27	223.27	
					सूचना एवं प्रसारण	0.12	-	0.27	0.27	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	13.22	-	6.52	6.52	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	5.83	-	5.53	5.53	
					अन्य	0.41	-	0.46	0.46	
					आर्थिक सेवाएं	1364.66	88.35	1357.15	1445.50	
					कृषि एवं सम्वद्ध कार्यक्रमलाप	71.62	0.43	73.05	73.48	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			0.37	0.37	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	323.50	-	255.74	255.74	
					रुजो	206.50	50	214.21	264.21	
					उद्योग एवं खनिज	14.52	-	15.83	15.83	
					परिवहन	686.44	37.92	696.18	734.10	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	62.08	-	101.77	101.77	
					योग	1809.83			1954.80	
V- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		24.86		21.10	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	492.98			468.58	468.58
विद्युत परियोजनाओं से	1.22		--		विद्युत परियोजनाओं से	473.56			442.53	
सरकारी कर्मचारियों से	10.55		11.36		सरकारी कर्मचारियों को	6.13			8.21	
अन्य से	13.09		9.74		अन्य को	13.29			17.84	
VI- कम किया गया राजस्व अधिशेष		644.89		(-) 576.13	VI- कम किया गया राजस्व घाटा	--			--	

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

प्रप्तियां					संवितरण					
2011-12		2012-13			2011-12		2012-13			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>VII-लोक ऋण प्रप्तियां</b>		<b>1984.05</b>		<b>3371.30</b>	<b>VII-लोक ऋण की चुकौती</b>	<b>1127.72</b>				<b>2116.96</b>
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	1903.87		3239.48		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण		2055.92			
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--				अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन		-			
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	80.18		131.82		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती		61.04			
<b>VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोजन</b>	<b>--</b>				<b>VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोजन</b>	<b>--</b>	<b>-</b>			
<b>IX- आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि</b>	<b>--</b>				<b>IX- आकस्मिकता निधि से व्यय</b>					
<b>X- लोक लेखा प्रप्तियां</b>		<b>9236.66</b>		<b>9145.77</b>	<b>X- लोक लेखा संवितरण</b>	<b>8526.07</b>				<b>8285.47</b>
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2099.97		2832.33		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां				1720.59	
आर्षकत निधियां	285.00		188.07		आर्षकत निधियां				182.95	
निक्षेप एवं अग्रिम	1780.24		1570.51		निक्षेप एवं अग्रिम				1726.79	
उन्नत एवं विविध	361.71		501.92		उन्नत एवं विविध				428.50	
प्रेषण	4709.74		4052.94		प्रेषण				4226.64	
<b>XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से इतिशेष अधिविकर्ष</b>	<b>--</b>	<b>--</b>			<b>XI- अंत में रोकड़ शेष</b>	<b>568.72</b>				<b>(-) 295.05</b>
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				-	
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष				0.19	
					रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप				(-) 561.71	
					रोकड़ शेष निवेश				266.47	
<b>योग:</b>		<b>12525.32</b>		<b>12530.76</b>	<b>योग:</b>	<b>12525.32</b>			<b>12530.76</b>	<b>12530.76</b>

## परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ 234)

भाग-ख

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2013 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति			
परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2013 को	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय -	18610.82		20565.62
कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2448.06	2767.44	
अन्य पूंजीगत परिव्यय	16162.76	17798.18	
ऋण एवं अग्रिम -	951.40		1398.88
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	808.62	251.16	
अन्य विकास ऋण	98.72	1106.80	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	44.06	40.92	
आरक्षित निधि निवेश	---		
रोकड़ -	568.72		(-) 295.05
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	2.14		-
भारतीय रिज़र्व बैंक में निक्षेप	(-) 382.28	(-) 561.71	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	948.67	266.47	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	8692.54		9272.75
योग	28823.48		30942.20

\* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे से।

दायित्व	31.03.2012 को	31.03.2013 को	
आंतरिक ऋण	<b>18563.40</b>		<b>19746.95</b>
ब्याज वाले बाजार ऋण	10146.61	11808.83	
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07		
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	282.71	234.28	
नाबार्ड से ऋण	1278.06	1479.72	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	23.11	26.90	
केन्द्र सरकार की एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5063.00	5348.50	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	23.30	21.07	
अन्य संस्थाओं से ऋण	1746.54	827.65	
<b>केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-</b>	<b>947.30</b>		<b>1018.07</b>
आयोजनेत्तर ऋण	9.55	8.05	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	937.13	1009.89	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	--	-	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.49	-	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	<b>6737.89</b>		<b>7849.63</b>
निक्षेप	<b>1757.82</b>		<b>1601.54</b>
आरक्षित निधियां	<b>220.58</b>		<b>225.70</b>
उचन्त एवं विविध शेष	<b>191.00</b>		<b>268.52</b>
प्रेषण शेष	<b>400.49</b>		<b>226.79</b>
योग	<b>28823.48</b>		<b>30942.20</b>



## परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4 ; पृष्ठ 6 )

लिंग बजटिंग

## 1. 100 प्रतिशत नियतन की सीमा तक स्त्रियों की लाभार्थ स्कीमों का बजटिंग नियतन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	2010-11	--	1.31	1.31	--	1.16
		2011-12	--	1.42	1.42	--	1.17
		2012-13	--	1.45	1.45	--	1.45
2	जागृती अभियान	2010-11	--	0.13	0.13	--	0.13
		2011-12	--	--	--	--	--
		2012-13	--	0.12	0.12	--	0.12
3	विधवा पुनर्विवाह	2010-11	--	0.23	0.23	--	0.18
		2011-12	--	0.31	0.31	--	0.20
		2012-13	--	0.35	0.35	--	0.26
4	महिला आयोग	2010-11	--	0.49	0.49	--	0.51
		2011-12	--	0.49	0.49	--	0.62
		2012-13	--	0.72	0.72	--	0.72
5	सबला पोषण	2010-11	1.86	1.85	3.71	1.86	1.85
		2011-12	3.21	3.21	6.42	3.21	3.21
		2012-13	6.66	3.00	9.66	6.66	3.00
6	सबल-गैर पोषण	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	--	1.82	1.82	--	1.82
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
7	इंदिरा गांधी मातृ संबल योजना	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	2.38	--	2.38	2.38	--
		2012-13	0.65	--	0.65	0.65	--
8	किशोरी शक्ति योजना	2010-11	0.42	--	0.42	0.42	--
		2011-12	0.25	--	0.25	0.25	--
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
9	बलात्कार के पीड़ितों को वित्तीय सहायता	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	--	--	--	--	--
		2012-13	--	0.50	0.50	--	0.50
10	नैतिक खतरे में पड़ी स्त्रियों को वैकल्पिक अवसर उपलब्ध करवाने हेतु स्कीम	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	--	--	--	--	--
		2012-13	--	1.00	1.00	--	1.00
	योग	2010-11	2.28	4.01	6.29	2.28	3.83
		2011-12	5.84	7.25	13.09	5.84	7.01
		2012-13	9.27	7.14	16.41	9.27	7.05

2. स्त्रियों के लाभार्थ स्कीमों को आंशिक बजटीय नियतन

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मदर टेरेसा मातृ असहाय योजना	2010-11	--	2.76	2.76	--	2.76
		2011-12	--	2.98	2.98	--	2.98
		2012-13	--	4.24	4.24	--	4.24
2	विशेष पोषण कार्यक्रम	2010-11	24.66	15.30	39.96	24.66	15.30
		2011-12	28.19	20.40	48.59	28.19	16.19
		2012-13	29.66	29.40	59.06	29.66	29.40
3	माता शबरी सशक्तिकरण योजना	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	--	0.66	0.66	--	0.66
		2012-13	--	0.66	0.66	--	0.66
	<b>योग</b>	<b>2010-11</b>	<b>24.66</b>	<b>18.06</b>	<b>42.72</b>	<b>24.66</b>	<b>18.06</b>
		<b>2011-12</b>	<b>28.19</b>	<b>24.04</b>	<b>52.23</b>	<b>28.19</b>	<b>19.83</b>
		<b>2012-13</b>	<b>29.66</b>	<b>34.30</b>	<b>63.96</b>	<b>29.66</b>	<b>34.30</b>

## परिशिष्ट-1.6

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ10)

2012-13 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण ( राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां ) ( लेखापरीक्षित बिना आंकड़े )			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2012-13	2011-12
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	361.30	311.38
	योग	<b>361.30</b>	<b>311.38</b>
सर्व शिक्षा अभियान	हि0प्र0 प्रार्थमिक शिक्षा संस्था	107.37	141.93
	योग	<b>107.37</b>	<b>141.93</b>
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी डीएचई	एनआईआईटी हमीरपुर	45.00	70.00
	योग	<b>45.00</b>	<b>70.00</b>
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	हि0प्र0 ग्राम सड़क विकास अभिकरण	--	310.30
	योग	--	<b>310.30</b>
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	13.43	67.78
	योग	<b>13.43</b>	<b>67.78</b>
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	25.06	101.37
	योग	<b>25.06</b>	<b>101.37</b>
पर्यटक स्थलों का विकास	हि0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड	23.84	2.70
	योग	<b>23.84</b>	<b>2.70</b>
उत्पाद/अवसरचना	हि0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड	10.69	--
	योग	<b>10.69</b>	--
ग्रामीण आवास आईएवाई	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	29.00	23.09
	योग	<b>29.00</b>	<b>23.09</b>
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	37.50	--
	योग	<b>37.50</b>	--
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	5.92	11.01
	योग	<b>5.92</b>	<b>11.01</b>
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	4.27	10.24
	योग	<b>4.27</b>	<b>10.24</b>
अस्पताल एवं औषधालय ( राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत )	हि0प्र0 में आयुष संस्थानों के विकासार्थ संस्था	1.19	8.75
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( केन्द्रीय प्रायोजित )	60.26	164.71
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( केन्द्रीय क्षेत्र )	0.57	0.61
	योग	<b>62.02</b>	<b>174.07</b>

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2012-13	2011-12
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल और स्वच्छता मिशन	16.67	4.70
	<b>योग</b>	<b>16.67</b>	<b>4.70</b>
ई-गवर्नेंस	एसआईटीईजी	6.05	0.90
	<b>योग</b>	<b>6.05</b>	<b>0.90</b>
एसटीडी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हि0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण संस्था	8.88	12.90
	<b>योग</b>	<b>8.88</b>	<b>12.90</b>
विस्तार सुधारों हेतु राज्य को सहायता	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश	9.31	14.48
	<b>योग</b>	<b>9.31</b>	<b>14.48</b>
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	प्रधानाचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, शिमला	4.40	4.24
	<b>योग</b>	<b>4.40</b>	<b>4.24</b>
राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास अभिकरण	3.62	0.33
	<b>योग</b>	<b>3.62</b>	<b>0.33</b>
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	102.24	146.03
	<b>योग</b>	<b>102.24</b>	<b>146.03</b>
पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान	हि0प्र0 क्रीड़ा परिषद्	7.60	4.90
	<b>योग</b>	<b>7.60</b>	<b>4.90</b>
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	3.01	3.57
	<b>योग</b>	<b>3.01</b>	<b>3.57</b>
नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं अभिकल्प	चौधरी सरवण कुमार हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय	0.09	0.18
	<b>योग</b>	<b>0.09</b>	<b>0.18</b>
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हि0प्र0 प्राथमिक शिक्षा समिति	20.35	--
	<b>योग</b>	<b>20.35</b>	--
अन्य	--	294.82	--
	<b>योग</b>	<b>294.82</b>	--
	<b>कुल योग</b>	<b>1202.44</b>	

स्रोत: सी0जी0ए0 का सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल

## परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 30)

## केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकार कीलोक निजी भागीदारी परियोजनाओं को दर्शाती विवरणी

(i) कार्यान्वयन के अंतर्गतपरियोजनाएँ

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मदें	प्रकार- बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ 0टी0/बी0ओ0एल0टी0/ बी0ओ0ओ0 आदि	कुल परियोजना लागत	निवेश/निधियन का प्रतिरूप	परियोजना अवधि (वर्षों की संख्या)	राज्य/केन्द्र द्वारा दी गई अन्य रियायतें	लाभाधी जनसंख्या	यदि 12वीं योजना में सम्मिलित	भारत सरकार द्वारा व्यवहार्य अंतराल निधियन	राज्य द्वारा अनुदान	अन्य टिप्पणी, यदि हो तो
1	शहरी यातायात (बस स्टैंड)										
(i)	परवाणु बस स्टैंड	डी0बी0ओ0टी0	6.87	-	25	-	-	-	-	-	-
(ii)	ऊना बस स्टैंड	डी0बी0ओ0टी0	50.50	-	30	-	-	-	-	-	-
(iii)	हमीरपुर बस स्टैंड	डी0बी0ओ0टी0	65.90	-	30	-	-	-	-	-	-
2	टोस कचरा ( शिमला शहर के लिए टोस कचरा प्रबन्धन)	डी0बी0ओ0टी0	16.04	भारत सरकार का अंश: 12.83 राज्य अंश: 1.60 यू0एल0बी0 1.60	20	-	3 लाख लगभग	-	-	1.60	यू0एल0बी0 अंश वहन करने के लिए राज्य सरकार को अनुरोध भेजा जा चुका है
3	<b>अन्य नगरीय अवसंरचना</b>										
i.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, संजौली	डी0बी0ओ0टी0	24.70	कुल परियोजना लागत रियायती द्वारा वहन की जाएगी	30	-	20,000 लगभग	-	-	-	-
ii.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, लिफ्ट शिमला	डी0बी0ओ0टी0	46.11		30	-	35,000 लगभग	-	-	-	-
iii.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, छोटा शिमला	डी0बी0ओ0टी0	11.68		30	-	12,000 लगभग	-	-	-	-
iv.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, विकास नगर, शिमला	डी0बी0ओ0टी0	--		40	-	8,000 लगभग	-	-	-	-
v.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, पालमपुर, कांगडा	डी0बी0ओ0टी0	7.00		40	-	4,000 लगभग	-	-	-	-
vi.	पार्किंग का विकास, मण्डी	डी0बी0ओ0टी0	60.00		40	-	6,000 लगभग	-	-	-	-
vii.	पार्किंग का विकास, बिलासपुर	डी0बी0ओ0टी0	8.00		40	-	4,500 लगभग	-	-	-	-

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	मदें	प्रकार- बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ 0टी0/बी0ओ0एल0टी0/ बी0ओ0ओ0 आदि	कुल परियोजना लागत	निवेश/निधियन का प्रतिरूप	परियोजना अवधि (वर्षों की संख्या)	राज्य/केन्द्र द्वारा दी गई अन्य रियायतें	लाभार्थी जनसंख्या	यदि 12वीं योजना में सम्मिलित	भारत सरकार द्वारा व्यवहार्य अंतराल निधियन	राज्य द्वारा अनुदान	अन्य टिप्पणी, यदि हो तो
4	पर्यटन परियोजनाएं										
(i)	शिवालिक से जाखू रज्जु मार्ग	बी0ओ0टी0	12.00	-	40	-	-	--	-	-	16.03.2006 को अनुबंध हस्ताक्षरित
(ii)	न्यूगल (पालमपुर) रज्जु मार्ग	बी0ओ0टी0	2.00	-	40	-	-	-	-	-	26.03.2012 को अनुबंध हस्ताक्षरित
(iii)	पलछान से रोहतांग रज्जु मार्ग	बी0ओ0टी0	245.00	-	40	-	-	-	-	-	परियोजना प्रदान की गई और रियायत अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा रहा है
(iv)	भूतर से बिजली महादेव रज्जु मार्ग	बी0ओ0टी0	61.88	-	40	-	-	-	-	-	परियोजना प्रदान की गई और रियायत अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा रहा है

(ii) पूर्ण की गई परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मदें	प्रकार- बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ0टी0/बी0 ओ0एल0टी0/बी0ओ0ओ0 आदि	कुल परियोजना लागत	निवेश/निधियन का प्रतिरूप	परियोजना अवधि (वर्षों की संख्या)	राज्य/केन्द्र द्वारा दी गई अन्य रियायतें	लाभार्थी जनसंख्या	यदि 12वीं योजना में सम्मिलित	भारत सरकार द्वारा व्यवहार्य अंतराल निधियन	राज्य द्वारा अनुदान	अन्य टिप्पणी, यदि हो तो
क्षेत्र											
1	शहरी यातायात										
(i)	टुटीकण्डी बस स्टैंड	बी0ओ0टी0	16.00	6	17	-	-	-	-	-	-
(ii)	कांगडा बस स्टैंड	बी0ओ0टी0	9.50	-	17	-	-	-	-	-	-
2	पर्यटन परियोजनाएं (सोलंग नाला, मनाली में रज्जुमार्ग -सह-स्की केन्द्र )	बी0ओ0ओ0टी0	15.00	-	40	-	-	-	-	-	वाणिज्यिक परिचालन 23.01.2011 से आरम्भ
<b>सामाजिक सेवा क्षेत्र</b>											
3	स्वास्थ्य सेवाएं										
	आपतकालीन चिकित्सा यातायात सेवा	पी0पी0पी0	91.30	14.69	5	-	68 लाख	-	-	15.03	-

## परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 31)

## लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश की स्थिति

## क. पार्किंग कॉम्प्लेक्स

बिन्दु	1. संजौली, शिमला स्थित पार्किंग कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए रियायती अनुबन्ध	2. छोटा शिमला स्थित पार्किंग कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए रियायती अनुबन्ध	3. लिफ्ट, शिमला स्थित पार्किंग कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए रियायती अनुबन्ध
अनुबन्ध तिथि	04 फरवरी 2011	12 अक्टूबर 2010	26 फरवरी 2011
अधिनिर्णय की सूचना	18 नवम्बर 2010	05 अगस्त 2010	18 नवम्बर 2010
रियायती प्राधिकरण	नगर निगम, शिमला	नगर निगम, शिमला	नगर निगम, शिमला
रियायती	मैसर्ज टॉटिया संजौली पार्किंग प्रा0 लि0, कोलकता	मैसर्ज पी0के0 निर्माण कं0 वलिनी, शिमला (हि0 प्रा0)	मैसर्ज शिमला टोल्स एवं प्रोजेक्ट प्रा0 लि0
परियोजना प्रकार	अधिकल्पनिर्माण प्रचालन हस्तांतरण	खाका निर्माण प्रचालन हस्तांतरण	खाका निर्माण प्रचालन हस्तांतरण
निर्माण अवधि	अनुपालना तिथि के शुरू होने से 12 महीने	अनुपालना तिथि के शुरू होने से 12 महीने	अनुपालना तिथि के शुरू होने से 15 महीने
रियायत अवधि	30 वर्ष	30 वर्ष	30 वर्ष
1. रियायती द्वारा परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण	1. हस्तांतरण तिथि पर रियायती परियोजना स्थल, पार्किंग कॉम्प्लेक्स तथा परियोजना परिसम्पत्तियां रियायती प्राधिकरण को शून्य लागत पर सुपुर्द करेगा। 2. परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुए व्यय एवं लागतों के प्रति रियायती अधिकारी उत्तरदायी होगा	1. हस्तांतरण तिथि पर रियायती परियोजना स्थल, पार्किंग कॉम्प्लेक्स तथा परियोजना परिसम्पत्तियां रियायती प्राधिकरण को शून्य लागत पर सुपुर्द करेगा। 2. परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुए व्यय एवं लागतों के प्रति रियायती अधिकारी उत्तरदायी होगा	1. हस्तांतरण तिथि पर रियायती परियोजना स्थल, पार्किंग कॉम्प्लेक्स तथा परियोजना परिसम्पत्तियां रियायती प्राधिकरण को शून्य लागत पर सुपुर्द करेगा। 2. परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुए व्यय एवं लागतों के प्रति रियायती अधिकारी उत्तरदायी होगा।
निष्पादन प्रतिभूति	निर्माण निष्पादन प्रतिभूति: निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक बैंक गारण्टी ₹ 100.00 लाख। रियायती अनुबन्ध पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के दो महीने बाद तक ₹ 40 लाख के रूप में वैध बैंक प्रत्याभूति	निर्माण निष्पादन प्रतिभूति: निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक बैंक गारण्टी ₹ 75.00 लाख रियायती अनुबन्ध पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के दो महीने बाद तक ₹ 30 लाख के रूप में वैध बैंक प्रत्याभूति	निर्माण निष्पादन प्रतिभूति: निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक बैंक गारण्टी ₹ 150.00 लाख रियायती अनुबन्ध पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के दो महीने बाद तक ₹ 60 लाख के रूप में वैध बैंक प्रत्याभूति





	<p>राशि का निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा;</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 90 प्रतिशत में से मूर्त परिसम्पत्तियां कम करके।</p> <p>(ii) न्यून लम्बित बीमा दावों को कम करके ऋण का 90 प्रतिशत।</p> <p>घ) अगर गैर-राजनीतिक घटना एवं राजनीतिक घटना है, तो रियायती निम्नलिखित के निम्नतम राशि के बराबर के निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा:</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 100 प्रतिशत, या</p> <p>(ii) 100 प्रतिशत ऋण में से लम्बित बीमा दावे कम करके</p>	<p>राशि का निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा;</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 90 प्रतिशत में से मूर्त परिसम्पत्तियां कम करके।</p> <p>(ii) न्यून लम्बित बीमा दावों को कम करके ऋण का 90 प्रतिशत।</p> <p>घ) अगर गैर-राजनीतिक घटना एवं राजनीतिक घटना है, तो रियायती निम्नलिखित के निम्नतम राशि के बराबर के निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा:</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 100 प्रतिशत, या</p> <p>(ii) 100 प्रतिशत ऋण में से लम्बित बीमा दावे कम करके</p>	<p>करके।</p> <p>(ii) न्यून लम्बित बीमा दावों को कम करके ऋण का 90 प्रतिशत।</p> <p>घ) अगर गैर-राजनीतिक घटना एवं राजनीतिक घटना है, तो रियायती निम्नलिखित के निम्नतम राशि के बराबर के निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा:</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 100 प्रतिशत, या</p> <p>(ii) 100 प्रतिशत ऋण में से लम्बित बीमा दावे कम करके</p>
<b>3. परियोजना से राजस्व सांझेदारी एवं राजस्व का प्रवाह</b>	<p>परियोजना (₹0.95 करोड़) के विकास के लिए रियायती प्राधिकरण को भुगतान किया जाने वाला वार्षिक रियायती शुल्क रियायती द्वारा उद्घृत राशि होगी जो विगत वर्ष के वार्षिक रियायत शुल्क की तुलना में प्रत्येक दो वर्षों के बाद 10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।</p>	<p>परियोजना (₹0.36 करोड़) के विकास के लिए रियायती प्राधिकरण को भुगतान किया जाने वाला वार्षिक रियायती शुल्क रियायती द्वारा उद्घृत राशि होगी जो विगत वर्ष के वार्षिक रियायत शुल्क की तुलना में प्रत्येक दो वर्षों के बाद 10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।</p>	<p>परियोजना (₹एक करोड़) के विकास के लिए रियायती प्राधिकरण को भुगतान किया जाने वाला वार्षिक रियायती शुल्क रियायती द्वारा उद्घृत राशि होगी जो विगत वर्ष के वार्षिक रियायत शुल्क की तुलना में प्रत्येक दो वर्षों के बाद 10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।</p>
<b>4. लेखा एवं लेखापरीक्षा</b>	<p>दस परस्पर सहमत फर्मों के शासपत्रित लेखाकारों में से शासपत्रित लेखाकारों की फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में।</p>	<p>दस परस्पर सहमत फर्मों के शासपत्रित लेखाकारों में से शासपत्रित लेखाकारों की फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में।</p>	<p>दस परस्पर सहमत फर्मों के शासपत्रित लेखाकारों में से शासपत्रित लेखाकारों की फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में।</p>

**ख. रज्जुमार्ग**

विषय	1. न्यूगल ( पालमपुर ) में यात्री रज्जु मार्ग के विकास के लिए रियायती अनुबंध ( अनुबंध तिथि 26.03.2012- बी0ओ0टी0 आधारित )	2. जाखू रज्जुमार्ग परियोजना के लिए रियायती अनुबंध ( अनुबंध तिथि 16.03.2006-बी0ओ0टी0आधारित )	3. सोलंग ( कुल्लू ) में रज्जुमार्ग-सह-स्की केन्द्र परियोजना ( अनुबंध तिथि 18.01.2003-बी0ओ0ओ0टी0 आधारित )
रियायत अवधि	निर्माण अवधि सहित अधिकतम 40वर्ष	निर्माण अवधि सहित अधिकतम 40 वर्ष	निर्माण अवधि सहित अधिकतम 40 वर्ष
1. रियायती द्वारा परिसंपत्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण	क. अनुबंध के अनुसार रियायत अवधि के बाद शून्य मूल्य ख. रियायती प्राधिकरण को परियोजना परिसंपत्तियों एवं परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुए व्यय व लागत के लिए रियायती प्राधिकरण उत्तरदायी होगा	क. अनुबंध के अनुसार रियायत अवधि के बाद शून्य लागत पर ख. रियायती प्राधिकरण को परियोजना परिसंपत्तियों एवं परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में आई लागत व व्यय के लिए रियायती प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।	क. अनुबंध के अनुसार रियायत अवधि के बाद अवक्षयित अंकित मूल्य ख. परियोजना परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में आई लागत व व्यय के लिए संप्रवर्तक उत्तरदायी होगा। ऐसे हस्तांतरणों के लिए आवश्यकतानुरूप सरकार अपने स्तर पर अन्य सभी शोधन प्रभावी करेगी और ऐसी अन्य कार्रवाई करेगी।
निष्पादन प्रतिभूति	<b>निष्पादन प्रतिभूति</b> निर्माण अवधि के पश्चात छः माह के लिए वैध ₹10.00 लाख प्रत्याभूति के रूप में, जो कि रज्जु मार्ग के प्रतिस्थापन के पश्चात रियायती को प्रत्यापणीय होगी।	<b>निर्माण अवधि</b> <b>निष्पादन प्रतिभूति</b> बैंक प्रतिभूति के रूप में ₹10.00 लाख <b>परिचालन अवधि</b> <b>निष्पादन प्रतिभूति</b> रियायती प्राधिकरण को परियोजना निर्माण पूर्णता की प्राप्ति पर ₹10.00 लाख अथवा एक वर्ष की एम0जी0ए0 के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो। प्रतिभूति राशि डब्ल्यू0 पी0आई0 के बढ़ने के अनुसार आवधिक रूप से बढ़ेगी।	<b>निर्माण अवधि</b> <b>निष्पादन प्रतिभूति</b> बैंक प्रत्याभूति के रूप में ₹20.00 लाख। <b>परिचालन अवधि निष्पादन प्रतिभूति</b> प्रथम परिचालन वर्ष के लिए ₹10.00 लाख और आगामी वर्षों के लिए बैंक प्रत्याभूति का नवीकरण करने के बाद
भूमि	रियायती द्वारा अपनी लागत पर। तथापि, रियायती द्वारा व्यवस्थित की गई सरकारी भूमि/वन्य भूमि/निजी भूमि पर कोई भूमि पट्टा प्रभार नहीं लगाया जाएगा।	रियायती को स्थल के अर्जन के लिए रियायत प्राधिकरण से मार्ग के अधिकार के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए रियायती प्राधिकरण मार्ग के अधिकार और अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करेगा।	1. हिमाचल प्रदेश सरकार ऋण ग्रस्तता से मुक्त भूमि उपलब्ध करवाएगी -धारा-4 ( टिप्पणी स्पष्टता का पी010) 2. अनुज्ञप्ति शुल्क में भूमि पट्टा किराये सम्मिलित किए जाने हैं।
2. रियायती प्राधिकरण के आकस्मिक दायित्व	<b>पराभूत बल</b> 1. जहां पराभूत बल एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना है, वहां रियायती प्राधिकरण द्वारा रियायती को आधी लागत की (बीमा आवरण से अधिक) प्रतिपूर्ति की जाएगी। 2. जब पराभूत बल राजनीतिक घटना है, तब रियायती प्राधिकरण द्वारा वास्तविक सीमा तक हुई पराभूत बल की लागत की रियायती को प्रतिपूर्ति की जाएगी। 3. (क) अगर निरसन गैर-राजनैतिक घटना के आधार पर है, तब रियायती निम्नलिखित के निम्नतम के बराबर की टर्मिनेटिड राशि के भुगतान रोकने द्वारा	<b>पराभूत बल</b> <b>1.निरसन</b> सरकार की चूक की घटना के लिए प्रोत्साहक इस अनुबंध को निरस्त करने की स्थिति में प्रोत्साहक अनुच्छेद-3 की धारा 3.3 के अनुसार परियोजना परिसंपत्तियों एवं परियोजना सरकार को हस्तांतरित करेगा तथा सरकार ऐसे हस्तांतरण को स्वीकार करेगी, सरकार निष्पादन प्रतिभूति या प्रचालना आवधिक प्रतिभूति निष्पादन प्रतिभूति प्रोत्साहक को लौटायेगी, जैसी भी स्थिति हो तथा परियोजना परिसम्पति के घटते मूल्य का 1.15 गुणा भुगतान करेगा।	<b>पराभूत बल</b> <b>1.निरसन</b> सरकार की चूक की घटना के लिए प्रोत्साहक इस अनुबंध को निरस्त करने की स्थिति में अनुच्छेद-14 के अनुसार परियोजना परिसंपत्तियों एवं परियोजना सरकार को हस्तांतरित करेगा तथा सरकार ऐसे हस्तांतरण को स्वीकार करेगी, सरकार निष्पादन प्रतिभूति या प्रचालना आवधिक प्रतिभूति प्रोत्साहक को जैसी भी स्थिति हो तथा परियोजना परिसम्पति के घटते मूल्य का 1.15 गुणा भुगतान करेगा।

	<p>रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा:</p> <p>i. परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 90 प्रतिशत मूर्त परिसम्पत्तियों से परिसम्पत्तियों को कम करके अंकित मूल्य का 90 प्रतिशत।</p> <p>ii. देय ऋण के 90 प्रतिशत से लम्बित बीमा दावा कम करके</p> <p>(ख) यदि निरसन गैर राजनीतिक घटनाओं एवं राजनीतिक घटनाओं के कारण होता है।</p> <p>i. न्यून अग्राह्यपरिसम्पत्तियों को कम परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 100 प्रतिशत में से मूर्त परिसम्पत्तियां कम करके।</p> <p>ii. देय ऋण के 100 प्रतिशत में से बीमा दावा कम करके</p>		
3.परियोजना से राजस्व सांझेदारी एवं राजस्व प्रवाह	<p>रियायत के प्रथम वर्ष के दौरान रियायती प्राधिकरण को रियायती ₹6.00 लाख की निम्नतम प्रत्याभूति राशि का भुगतान करेगा तथा यह परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्ष के बाद 2-5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ेगा। सम्बन्धित तिमाही की शुरुआत के सात दिनों के अन्दर तिमाही आधार पर देय।</p>	<p>प्रचालन के प्रथम वर्ष या परियोजना पूर्णता के दिन के लिए निम्नतम प्रत्याभूति राशि परियोजना से अर्जित सकल राजस्व का ₹57 लाख या 15 प्रतिशत रियायती प्राधिकारी को प्रतिवर्ष, जो भी अधिक होगी। विगत वर्ष की तुलना में प्रत्याभूति राशि थोक मूल्य सूची के औसत मूल्य पर प्रतिवर्ष बढ़ेगी। सम्बन्धित तिमाही की शुरुआत के सात दिनों के अन्दर तिमाही आधार पर देय होगी। परियोजना के प्रारम्भ होने के समय ऐसा प्रथम भुगतान किया जायेगा।</p>	<p>बोली के अनुसार प्रोत्साहक अनुज्ञप्ति शुल्क कम से कम 38 वर्षों (बशर्ते इस अनुबंध के प्रावधान के अनुसार अनुबंध जल्दी समाप्त होता है) तक देने के लिए उत्तरदायी होगा। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2004 के प्रति वित्तीय बोली में निर्दिष्ट राशि प्रचालन के प्रथम वर्ष में देय अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में निर्णीत होगी।</p>
4.लेखापरीक्षा प्रबन्धन	<p>यदि आवश्यक हो स्वतन्त्र लेखापरीक्षक वित्तीय हिसाब किताब की जांच के लिए नियुक्त किया जाएगा।</p>	<p>रियायती प्राधिकरण एवं रियायती द्वारा संयुक्त रूप से स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाएगा।</p>	<p>जैसा कि बी0ओ0ओ0टी0 के अन्तर्गत प्रचालित अनुबंध में लेखापरीक्षा प्रबंधन के सम्बंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिली, यद्यपि वित्तीय सूचना के अन्तर्गत यह वर्णित किया गया है कि वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे 180 दिनों के अन्दर जारी कर दिए गए।</p>

**परिशिष्ट-2.1**

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में एक करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के चार मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>					
1.	03	न्याय प्रशासन	109.79	14.78	
2.	04	सामान्य प्रशासन	122.34	1.30	
3.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	469.04	27.31	
4.	06	आबकारी एवं कराधान	49.01	7.48	
5.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	631.15	2.89	
6.	08	शिक्षा	3184.41	119.99	
7.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	922.89	62.12	
8.	11	कृषि	239.43	39.96	
9.	12	बागवानी	115.22	4.42	
10.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	46.71	6.89	
11.	16	वन एवं वन्य-प्राणी	338.14	9.67	
12.	18	उद्योग, धातु, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	64.17	3.04	
13.	20	ग्रामीण विकास	405.99	72.69	
14.	21	सहकारिता	23.30	1.57	
15.	23	विद्युत विकास	269.83	39.93	
16.	28	शहरी विकास, नगर तथा ग्रामीण योजना एवं आवास	179.40	8.28	
17.	29	वित्त	2826.94	32.62	
18.	30	विविध सामान्य सेवाएं	61.60	1.02	
19.	31	जनजातीय विकास	655.91	24.05	
20.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	451.08	22.54	
<b>पूँजीगत- दत्तमत्त</b>					
21.	01	विधान सभा	3.68	1.56	42
22.	04	सामान्य प्रशासन	2.87	2.62	91
23.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	46.11	2.00	
24.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल और भवन	546.35	45.41	
25.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	146.98	11.94	
26.	19	समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	9.16	1.96	21
27.	29	वित्त	11.16	5.07	45
28.	31	जनजातीय विकास	166.51	8.54	
29.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	552.28	61.22	

## परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 53)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में कुल प्रावधान के ₹ एक करोड़ से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय
<b>राजस्व- दत्तमत</b>					
1.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2104.30	2139.87	35.57
2.	14	पशु पालन, डेयरी विकास और मत्स्यपालन	208.71	213.31	4.60
3.	19	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	423.19	424.34	1.15
<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
4.	29	वित्त	2296.91	2369.97	73.06
<b>पूंजीगत- दत्तमत</b>					
5.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	305.77	323.98	18.21
<b>पूंजीगत-प्रभारित</b>					
6.	29	वित्त	1937.30	2116.96	179.66
<b>योग</b>			<b>7276.18</b>	<b>7588.43</b>	<b>312.25</b>

**परिशिष्ट-2.3**

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ56)

विगत वर्षों के प्रावधान में आधिक्य जिनका नियमितकरण अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजनों की संख्या	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचाराधीन अवस्था
2009-10	19 अनुदान 1 विनियोजन	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 32  10	887.80	वित्त विभाग से अपने स्तर पर उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2010-11	19 अनुदान 2 विनियोजन	1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 31, तथा 32  2 तथा 10	2237.64	
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9, 10, 13, 15, 21 तथा 23  29	752.51	09 जुलाई 2013 को चर्चा के लिए बाकी है। वित्त विभाग से अपने स्तर पर उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
<b>योग</b>			<b>3877.95</b>	

## परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 57)

2012-13 के दौरान प्रावधान में आधिक्य जिनका नियमितकरण अपेक्षित है

(₹)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व-दत्तमत्त</b>				
1.	01-विधान सभा	16,98,88,000	17,11,23,111	12,35,111
2.	02-राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद	6,50,26,000	6,71,33,455	21,07,455
3.	10-लोक निर्माण-सडकें, पुल व भवन	2104,29,91,000	2139,86,85,297	35,56,94,297
4.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1387,90,21,000	1673,11,07,887	285,20,86,887
5.	14-पशु पालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन	208,71,24,000	213,31,55,296	4,60,31,296
6.	19-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	423,19,12,549	424,34,48,253	1,15,35,704
<b>राजस्व-प्रभारित</b>				
7.	02- राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद	4,12,43,000	4,18,27,354	5,84,354
8.	03- न्यायिक प्रशासन	29,29,33,000	29,35,50,586	6,17,586
9.	29- वित्त	2296,90,60,327	2369,96,73,574	73,06,13,247
<b>पूंजीगत दत्तमत्त</b>				
10.	03-न्यायिक प्रशासन	21,19,11,000	21,21,58,857	2,47,857
11.	11-कृषि	72,81,16,000	72,84,82,068	3,66,068
12.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	305,77,23,000	323,98,62,146	18,21,39,146
13.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	20,56,00,000	27,55,61,800	6,99,61,800
14.	21-सहकारिता	85,27,000	11,42,14,000	10,56,87,000
15.	23-विद्युत विकास	393,56,01,000	481,09,19,000	87,53,18,000
<b>पूंजीगत-प्रभारित</b>				
16.	29- वित्त	1937,29,98,000	2116,96,21,383	179,66,23,383
<b>योग</b>		<b>9229,96,74,876</b>	<b>9933,05,24,067</b>	<b>703,08,49,191</b> अर्थात् <b>₹703.08 करोड़</b>

**परिशिष्ट-2.5**

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 57)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

( ₹हजार)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में बचतें	अनुपूरक प्रावधान
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>					
1.	03-न्यायिक प्रशासन	108,07,56	95,00,75	13,06,81	1,71,64
2.	08-शिक्षा	3108,57,72	3064,42,12	44,15,60	75,83,48
3.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	901,74,32	860,77,07	40,97,25	21,14,39
4.	11-कृषि	208,19,25	199,46,92	8,72,33	31,23,32
5.	20-ग्रामीण विकास	377,89,00	333,30,27	44,58,73	28,09,99
<b>पूंजीगत-दत्तमत्त</b>					
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	538,11,00	500,93,90	37,17,10	8,24,17
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	533,17,07	491,06,63	42,10,44	19,11,30
<b>योग</b>		<b>5775,75,92</b>	<b>5544,97,66</b>	<b>230,78,26</b>	<b>185,38,29</b> अर्थात् <b>₹185.38 करोड़</b>



## परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ57)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में एक करोड से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान एवं विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिव्य
<b>राजस्व-दत्तमत्त</b>							
1.	19	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	379.92	43.27	423.19	424.34	1.15
<b>राजस्व-प्रभारित</b>							
2.	29	वित्त	2249.67	47.24	2296.91	2369.97	73.06
<b>पूंजीगत- दत्तमत्त</b>							
3.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	15.76	4.80	20.56	27.56	7.00
<b>योग</b>			<b>2645.35</b>	<b>95.31</b>	<b>2740.66</b>	<b>2821.87</b>	<b>81.21</b>

**परिशिष्ट-2.7**

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 57)

**निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन**

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)	
1.		1	विधान सभा	2011-02-103-01	(-) 51.50	52.95
2.		5	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-02	(-) 659.22	144.95
3.	1.			<b>2053-093-01</b>	<b>(-) 740.42</b>	<b>(-) 249.34</b>
4.				2053-094-01	(-) 175.09	10.38
5.				2245-80-102-01	(-) 0.01	22.79
6.				6	आबकारी एवं कराधान	2045-104-02
7.		4216-01-106-08	(-) 117.55			(-) 22.88
8.		7	पुलिस एवं संबद्ध संगठन	2070-104-01	(-) 4.81	(-) 63.41
9.				2055-116-01	28.62	41.06
10.		9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-001-02 (एन०पी०)	(-) 361.18	(-) 16.14
11.				2210-01-001-02	(-) 19.93	(-) 19.68
12.				2210-01-110-03	(-) 1120.97	(-) 149.72
13.				2210-01-200-01	(-) 410.22	26.53
14.				2210-02-001-02	(-) 366.22	(-) 103.46
15.				2210-03-110-01 (एन०पी०)	(-) 1904.11	170.35
16.				2210-03-110-01	(-) 199.00	189.33
17.				2210-04-101-02	(-) 609.59	15.70
18.				2210-06-101-07	(-) 108.32	(-) 10.59
19.				2211-101-01	(-) 503.29	(-) 46.09
20.				2235-60-200-10	110.00	(-) 110.30
21.				2210-05-105-04	(-) 15.61	51.44
22.		10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2059-80-053-05	194.00	24.69
23.				3054-03-103-06	500.00	30.35
24.	2.			<b>3054-03-103-12</b>	<b>347.40</b>	<b>571.05</b>
25.	3.			<b>3054-03-103-13</b>	<b>(-) 294.40</b>	<b>847.75</b>
26.	4.			<b>3054-04-105-02 (एन०पी०)</b>	<b>159.50</b>	<b>570.01</b>
27.	5.			<b>3054-04-105-02</b>	<b>2300.00</b>	<b>(-) 217.74</b>
28.	6.			<b>3054-04-105-07</b>	<b>(-) 5508.18</b>	<b>7010.56</b>
29.				2059-80-001-01	(-) 177.00	34.81
30.	7.			<b>2059-80-053-03</b>	<b>(-) 964.79</b>	<b>(-) 386.91</b>
31.	8.			<b>2059-80-053-04</b>	<b>(-) 68.81</b>	<b>(-) 313.11</b>
32.	9.			<b>2059-80-053-06</b>	<b>5.00</b>	<b>(-) 780.82</b>
33.				3054-03-103-04	(-) 103.95	35.95

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)	
34.			3054-03-103-05	(-) 159.39	46.23	
35.			3054-03-103-06	(-) 690.00	181.48	
36.	10.		<b>3054-03-103-08</b>	<b>(-) 390.00</b>	<b>269.79</b>	
37.			3054-03-103-10	(-) 1702.30	182.42	
38.	11.		<b>3054-03-103-11</b>	<b>(-) 1699.05</b>	<b>(-) 3321.10</b>	
39.	12.		<b>3054-03-103-14</b>	<b>(-) 1752.06</b>	<b>1407.80</b>	
40.			3054-04-105-03	(-) 3330.00	24.07	
41.	13.		<b>3054-04-105-06</b>	<b>(-) 5508.18</b>	<b>(-) 8729.63</b>	
42.			3054-80-001-01	(-) 252.26	(-) 32.44	
43.			4059-80-051-05	10.50	(-) 19.78	
44.	14.		<b>5054-03-337-03</b>	<b>(-) 4800.00</b>	<b>448.93</b>	
45.			5054-03-337-06	(-) 151.00	60.44	
46.			5054-03-337-04	115.17	46.80	
47.			5054-04-337-07	114.83	15.88	
48.	15.	11	कृषि	<b>2401-001-01 (एन०पी०)</b>	<b>(-) 676.01</b>	<b>589.71</b>
49.	16.			<b>2401-001-01 (पी०)</b>	<b>600.00</b>	<b>(-) 600.30</b>
50.			2401-103-01	(-) 56.61	(-) 14.27	
51.			2401-109-25	(-) 329.01	(-) 17.04	
52.			2402-102-01	(-) 137.92	(-) 16.67	
53.		12	बागवानी	2401-119-02	(-) 130.73	25.87
54.			2401-119-11	(-) 86.59	21.83	
55.			2401-119-19	(-) 15.97	59.22	
56.			2401-119-05	11.04	17.28	
57.		13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-005-01	107.56	(-) 59.30
58.	17.			<b>2215-01-101-02</b>	<b>839.49</b>	<b>(-) 447.76</b>
59.			2215-01-101-05	(-) 4.15	28.48	
60.	18.		<b>2215-01-102-03</b>	<b>1609.29</b>	<b>(-) 573.63</b>	
61.			2215-01-102-13	89.08	149.65	
62.	19.		<b>2702-80-001-02</b>	<b>(-) 738.54</b>	<b>887.32</b>	
63.			2701-80-001-08	3.55	44.07	
64.	20.		<b>2215-01-001-01</b>	<b>(-) 589.93</b>	<b>263.80</b>	
65.			2215-01-001-02	(-) 1794.66	74.57	
66.			2215-01-101-04	2.00	(-) 27.90	
67.	21.		<b>2215-01-102-12</b>	<b>20.79</b>	<b>(-) 1285.21</b>	
68.			2700-01-001-01	(-) 4.69	(-) 36.92	
69.			2701-11-001-01	0.50	(-) 12.85	
70.	22.		<b>2702-80-001-01</b>	<b>(-) 2166.13</b>	<b>(-) 262.37</b>	
71.	23.		<b>2702-80-001-06</b>	<b>(-) 738.54</b>	<b>259.04</b>	
72.			4215-01-102-16	(-) 1320.17	41.64	

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)			
73.	24.	14	पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन	<b>2405-101-05-06</b>	<b>463.35</b>	<b>461.06</b>		
74.		15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2210-03-101-01	(-) 329.41	(-) 45.86		
75.				2210-03-103-01	(-) 31.19	(-) 13.43		
76.				2210-03-104-01	(-) 9.66	(-) 26.87		
77.				2210-06-101-13	(-) 35.39	(-) 18.09		
78.				2851-102-05	(-) 13.09	(-) 16.20		
79.				16	वन एवं वन्य जीवन	2402-102-12	(-) 162.18	21.81
80.		2406-01-001-02	(-) 3054.24			119.86		
81.		18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851-102-13	(-) 61.45	16.09		
82.	25.			<b>6885-01-190-01</b>	<b>0.38</b>	<b>699.62</b>		
83.		19	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	2235-02-102-03	12.05	12.54		
84.				2235-60-800-30	34.40	(-) 32.40		
85.	26.			<b>2235-60-800-73</b>	<b>560.62</b>	<b>237.17</b>		
86.				2235-02-102-05	(-) 60.78	31.72		
87.		20	ग्रामीण विकास	2515-102-01	(-) 865.55	127.58		
88.	27.	21	सहकारिता	<b>4425-107-02</b>	<b>0.13</b>	<b>1056.87</b>		
89.	28.	23	विद्युत विकास	<b>6801-190-01</b>	<b>3363.94</b>	<b>8753.19</b>		
90.		27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-05	(-) 23.60	13.05		
91.		29	वित्त	2054-097-01	(-) 276.23	27.03		
92.	29.			<b>2071-01-101-03</b>	<b>35182.25</b>	<b>537.26</b>		
93.				2049-01-122-01	43977.52	46.17		
94.	30.			<b>2049-01-101-11</b>	<b>2149.99</b>	<b>(-) 2150.00</b>		
95.	31.			<b>2049-01-101-14</b>	<b>1396.79</b>	<b>(-) 1396.80</b>		
96.	32.			<b>2049-01-101-15</b>	<b>3665.39</b>	<b>(-) 3665.40</b>		
97.	33.			<b>2049-01-101-16</b>	<b>1907.04</b>	<b>(-) 1907.05</b>		
98.	34.			<b>2049-01-101-17</b>	<b>1915.64</b>	<b>(-) 1915.65</b>		
99.	35.			<b>2049-01-101-18</b>	<b>1337.99</b>	<b>(-) 1338.00</b>		
100.	36.			<b>2049-01-101-19</b>	<b>890.99</b>	<b>(-) 891.00</b>		
101.	37.			<b>2049-01-101-51</b>	<b>(-) 179.14</b>	<b>(-) 253.77</b>		
102.				2049-01-200-15	(-) 11.83	(-) 24.97		
103.				7610-201-01	(-) 21.35	(-) 14.65		
104.	38.			<b>6003-109-11</b>	<b>122.79</b>	<b>18475.21</b>		
105.				6003-108-02	(-) 72.16	53.94		
106.	39.			31	जनजातीय विकास	<b>2059-01-796-11</b>	<b>0.93</b>	<b>(-) 550.84</b>
107.						2059-80-796-01	0.92	(-) 46.45
108.						2210-03-796-02 (पी0)	24.94	(-) 42.75
109.		2210-03-796-03	37.18			(-) 49.57		
110.		2401-796-01	(-) 5.06			(-) 13.68		

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
111.			2401-796-02	(-) 23.40	(-) 42.25
112.			2401-796-05	(-) 54.00	(-) 25.51
113.			2401-796-20	(-) 0.01	(-) 14.00
114.			2401-796-22	(-) 259.60	(-) 10.08
115.			2406-01-796-01	(-) 98.83	(-) 58.14
116.			2515-796-02	(-) 38.21	(-) 26.47
117.			2851-796-02	3.22	(-) 17.73
118.			3054-04-796-01	(-) 320.79	83.62
119.			3054-04-796-04	(-) 276.76	(-) 20.41
120.	<b>40.</b>		<b>3054-04-796-05</b>	<b>2.67</b>	<b>(-) 1620.02</b>
121.			2029-796-01	65.76	(-) 46.42
122.			2053-796-01	27.58	(-) 22.91
123.			2059-01-796-09	300.00	109.53
124.			2059-80-796-02	0.93	83.04
125.			2202-01-796-03	60.91	86.93
126.	<b>41.</b>		<b>2202-02-796-03</b>	<b>70.22</b>	<b>561.72</b>
127.			2210-06-796-09	23.49	(-) 16.09
128.			2215-01-796-01	269.94	(-) 23.04
129.			2403-796-02	(-) 9.92	10.89
130.			2702-80-796-03	2.00	37.32
131.	<b>42.</b>		<b>3054-04-796-03</b> (एनपीओ)	<b>(-) 316.61</b>	<b>331.26</b>
132.			3054-04-796-03 (पीओ)	(-) 10.00	11.23
133.			4055-796-01	(-) 19.00	(-) 17.00
134.			4202-01-796-01	24.79	(-) 57.99
135.			4055-796-02	16.60	17.00
136.			5054-04-796-01	31.90	17.32
137.	32	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-04-789-01	(-) 0.19	86.23
138.			4215-01-789-02	(-) 147.63	(-) 75.15
139.			4215-01-789-04	(-) 455.26	26.52
140.			4702-789-03	(-) 286.30	57.49
141.	<b>43.</b>		<b>5054-03-789-02</b>	<b>(-) 2200.00</b>	<b>(-) 566.47</b>
142.			5054-04-789-01	90.30	(-) 142.68
143.			4215-01-789-07	455.26	(-) 22.35
144.			4702-789-02	182.56	(-) 62.11
145.			4711-01-789-01	60.94	(-) 17.75
146.			5054-03-789-04	11.40	(-) 10.97

**परिशिष्ट-2.8**

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 58)

**वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए प्रत्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी**

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹10 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
<b>दत्तमत्त</b>					
1.	01	7610-201-04	223.36	133.82	60
2.	01	7610-201-06	15.00	15.00	100
3.	03	2014-00-105-04	485.03	442.71	91
4.	03	2059-01-053-40	84.00	84.00	100
5.	04	3435-03-103-01	50.00	35.44	71
6.	04	6216-80-190-01	254.00	254.00	100
7.	05	2029-00-103-03	100	95.54	96
8.	06	2040-101-01	564.01	434.89	77
9.	07	2070-00-108-02	188.00	174.61	93
10.	09	4210-03-105-01	300.00	200.02	67
11.	10	3054-04-105-03	5330.00	3330.00	62
12.	10	4059-01-051-08	450.00	450.00	100
13.	15	4202-01-201-08	100.00	100.00	100
14.	15	5002-01-120-01	100.00	100.00	100
15.	19	4225-80-800-03	50.00	50.00	100
16.	19	4235-02-190-02	90.00	90.00	100
17.	20	2501-06-800-04	995.00	904.45	91
18.	20	4216-02-800-01	80.00	71.59	89
19.	22	2236-02-101-06	30.00	28.63	95
20.	29	7610-00-201-01	36.00	21.35	59
21.	32	2202-02-789-04	171.00	171.00	100
22.	32	2202-02-789-05	113.00	113.00	100
23.	32	2501-06-789-02	370.00	346.51	94
24.	32	2515-789-17	137.00	137.00	100
25.	32	4215-01-789-06	927.00	727.00	78
26.	32	4402-789-03	25.50	25.50	100
27.	32	4702-00-789-09	272.00	182.00	67
28.	32	4711-01-789-07	27.45	27.45	100
29.	32	4711-01-789-10	260.80	159.10	61
30.	32	6225-01-789-02	30.00	16.50	55
<b>योग</b>			<b>11858.15</b> अर्थात् ₹118.58 करोड़	<b>8921.11</b> अर्थात् ₹89.21 करोड़	

## परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ:परिच्छेद 2.3.12; पृष्ठ58)

## वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	स्कीम का नाम ( लेखा शीर्षक )	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	01-विधान सभा	पूर्व विधायकों को वाहन खरीद के लिए ऋण (7610-201-06)	15.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
2.	03-न्यायिक प्रशासन	तहर्वें वित्त आयोग के अधीन विरासती न्यायालय भवनों का अनुरक्षण (2059-01-053-40)	84.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
3.	04-सामान्य प्रशासन	हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम को ऋण (6216-80-190-01)	254.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
4.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	कोषागार संगठन (4059-01-051-08)	450.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
5.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत भवनों का निर्माण (4202-01-201-08)	100.00	100
निर्माण पर शून्य व्यय होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
6.	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	रेलवे लाईनों का निर्माण (5002-01-120-01)	100.00	100
रेलवे लाईन के निर्माण पर शून्य व्यय होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
7.	19-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़के/लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण (4225-80-800-03)	50.00	100
कार्य कनिष्ठादन न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
8.	19- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	महिला विकास निगम (4235-02-190-02)	90.00	100
शून्य निवेश होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
9.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी पर व्यय (2202-02-789-04)	171.00	100
रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
10.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी पर व्यय(2202-02-789-05)	113.00	100
शिवरों एवं संगोष्ठियों के गठित न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
11.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	ऑन लाइन विभागों का कम्प्यूटरीकरण (2515-789-17)	137.00	100
मशीनरी एवं उपकरणों की न्यून खरीद के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
12.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय (4402-789-03)	25.50	100
कार्य के कम निष्ठादन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
13.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में (बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)सीर खड्डका नहरीकरण बरसवाड़ से जाहू तक(4711-01-789-07)	27.45	100
कार्य निष्ठादन न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
<b>योग</b>			<b>1616.95</b> अर्थात् <b>₹16.17 करोड़</b>	

**परिशिष्ट-2.10**

(संदर्भ: परिच्छेद2.3.12; पृष्ठ58)

**30 मार्च 2013 को ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाता विवरण**

(₹करोड़में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	03	2014-न्याय प्रशासन	108.26	13.93	13
2.	05	2029-भू-राजस्व	157.86	13.72	9
3.	08	2202- सामान्य शिक्षा	3180.57	119.99	4
4.	09	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	795.89	54.01	7
5.	10	3054-सड़कें एवं पुल	1661.69	219.30	13
6.	10	5054- सड़क एवं पुलों पर परिव्यय	504.74	46.51	9
7.	11	2401- कृषि कर्म	168.43	36.16	21
8.	13	2702-लघु सिंचाई	390.95	32.15	8
9.	13	4701-माध्यमिक सिंचाई पर परिव्यय	48.95	10.19	21
10.	16	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	326.55	11.07	3
11.	20	2505- ग्रामीण विकास	55.24	18.16	33
12.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	320.15	46.75	15
13.	23	2801-विद्युत	267.13	39.79	15
14.	29	2049-ब्याज भुगतान	2296.84	43.83	2
15.	29	2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2784.71	38.39	1
16.	32	5054-सड़क एवं पुलों पर परिव्यय	198.38	22.06	11
<b>योग</b>			<b>13266.34</b>	<b>766.01</b>	



## परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.13; पृष्ठ58)

वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण(₹20लाख अथवा इससे अधिक)

(₹करोड़में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
<b>राजस्व-दत्तमत्त</b>					
1.	05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	469.05	27.31	30.48	3.17
2.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	631.15	2.89	3.56	0.67
3.	12-बागवानी	115.22	4.42	4.62	0.20
4.	16-वानिकी एवं वन्य जीवन	338.14	9.67	11.07	1.40
5.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	64.17	3.04	3.25	0.21
6.	20-ग्रामीण विकास	405.99	72.69	73.96	1.27
7.	29-वित्त	2826.94	32.62	38.39	5.77
<b>पूंजीगत-दत्तमत्त</b>					
8.	10-लोक निर्माण-सड़के, पुल एवं भवन	546.35	45.41	51.01	5.60
<b>योग</b>		<b>5397.01</b>	<b>198.05</b>	<b>216.34</b>	<b>18.29</b>

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.15; पृष्ठ 59)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	स्कीम/सेवा लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2013 में किया गया व्यय	2012-13 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
1.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	3054-04-105-03	20.00	20.00	20.24	99	99
2.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	4216-01-106-01	12.31	10.91	15.45	80	71
3.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	5054-04-337-07	18.62	16.45	28.30	66	58
4.	11-कृषि	2401-00-800-14	10.96	10.96	20.02	55	55
5.	13- सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-102-21	16.40	14.99	18.50	89	81
6.	14-पशु पालन, डेयरी विकास उत्पादन एवं मत्स्यपालन	2403-00-101-01	12.99	12.99	16.13	81	81
7.	21-सहकारिता	4425-00-107-02	10.57	10.57	10.57	100	100
8.	23-विद्युत विकास	6801-00-190-02	17.20	17.20	26.01	66	66
9.	25-सड़क एवं जल परिवहन	3055-00-190-01	50.00	50.00	73.26	68	68
10.	31-जनजातीय विकास	6801-00-796-10	32.50	32.50	32.50	100	100
11.	31-जनजातीय विकास	6801-00-796-11	13.10	13.10	13.10	100	100
12.	32-अनुसूचित जाति उपयोजना	2225-01-789-10	11.65	11.65	11.65	100	100
13.	32- अनुसूचित जाति उपयोजना	6801-00-789-02	39.64	39.64	61.80	64	64
14.	32- अनुसूचित जाति उपयोजना	6801-00-789-03	22.25	22.25	22.25	100	100

## परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद2.4.1; पृष्ठ60)

(i) 2008-13 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सार आकस्मिक बिल		विस्तृत आकस्मिक बिल		सार आकस्मिक बिलों की प्रतिशतता के रूप में विस्तृत आकस्मिक बिल	बकाया सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2008-09	258	8.18	251	6.47	97	7	1.71
2009-10	209	7.30	195	3.74	93	14	3.56
2010-11	260	8.95	237	5.18	91	23	3.77
2011-12	244	4.97	235	1.48	96	9	3.49
2012-13	277	16.64	244	1.25	88	33	15.39
<b>योग</b>	<b>1248</b>	<b>46.04</b>	<b>1162</b>	<b>18.12</b>		<b>86</b>	<b>27.92</b>

(ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति

(₹)

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
1.	आयुर्वेद	52	16,65,33,265
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19	11,25,02,327
3.	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन	4	20,200
4.	श्रम एवं रोजगार	6	25,000
5.	भाषा कला एवं संस्कृति	5	73,045
	<b>योग</b>	<b>86</b>	<b>27,91,53,837</b> अर्थात् <b>₹27.92 करोड़</b>

स्रोत: विभागों द्वारा आपूरित सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े

**परिशिष्ट-2.14**

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 61)

**31 मार्च 2013 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी**

(₹)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	कोष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अथ शेष	क्रेडिट	डेबिट	अंत शेष
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
1.	102-नगरपालिका निधि	अधिसूचित क्षेत्र समिति चौपाल	(-) 16,438	--	--	(-) 16,438
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
2.	102- नगरपालिका निधि	नगरपालिका, रुना	(-) 71,776	--	--	(-) 71,776
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
3.	102- नगरपालिका निधि	नगरपालिका, चम्बा	(-) 7,801	--	--	(-) 7,801
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
4.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, नालागढ़	(-) 29,211	--	--	(-) 29,211
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
5.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, बैजनाथ	(-) 44,756	--	--	(-) 44,756
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
6.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, बंजार	(-) 26,000	--	--	(-) 26,000
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
7.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, पांवटा	(-) 12,794	--	--	(-) 12,794
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
8.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, देहरा	1,16,011	24,191	1,64,393	(-) 24,191
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
9.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, नगर	1,66,218	--	2,09,005	(-) 42,787
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
10.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, धर्मपुर	52,527	--	63,426	(-) 10,899
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
11.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, हमीरपुर	(-) 3,528	--	2,71,782	(-) 2,75,310
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
12.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, नारकण्डा	52,777	--	61,215	(-) 8,438
8449-अन्य निक्षेप						
13.	120-विविध निक्षेप	प्राचार्य डी0ए0वी0 महाविद्यालय, कांगड़ा	9,79,452	7,23,91,199	7,37,40,754	(-) 3,70,103
<b>योग</b>			<b>11,54,681</b>	<b>7,24,15,390</b>	<b>7,45,10,575</b>	<b>(-) 9,40,504</b> अर्थात् <b>₹(-)9.41 लाख</b>

## परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ परिच्छेद 2.8.4; पृष्ठ 69)

## पेंशनभोगी शीर्षों के अंतर्गत व्यय का अवर्गीकरण ( जांच प्रतिवेदन 2011-12 )

(₹)

क्रमांक	जिला निधि/निधि का नाम	परिच्छेद संख्या	व्यय की प्रकृति			लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत नियत किया गया
			डी०सी०आर०जी०	पेंशन	लघुकरण	
1.	डी०टी० बिलासपुर	2	1,67,537	--	5,76,883	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०) 2071-01-102-00 (लघुकरण)
2.	एस०टी० घुमारवीं	2	1,33,338	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
3.	डी०टी० चम्बा	3	--	1,33,030	--	2071-01-101-02 (पेंशन)
4.	एस०टी० डलहौजी	3	1,58,325	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
5.	एस०टी० भरमौर	1	6,41,419	---	---	2071-01-104-00 (डी०सी०आर०जी०)
6.	एस०टी० तीसा	2	26,730	---	---	2071-01-104-00 (डी०सी०आर०जी०)
7.	एस०टी० सिहंता	1	13,81,780	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
8.	डी०टी० हमीरपुर	1	9,33,385	20,45,633	---	2071-01-102-02 (पेंशन) 2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
9.	एस०टी० नदौन	3	49,095	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
10.	एस०टी० इन्दौर	3	15,359	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
11.	डी०टी० नुरपुर	2	50,16,270	---	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
12.	एस०टी० फतेहपुर	2	1,48,015	---	---	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
13.	एस०टी० खुं डीया	1	67,423	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
14.	डी०टी० किन्नौर	3	--	---	16,35,360	2071-01-102-01 (लघुकरण)
15.	एस०टी० पूह	2	6,20,985	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
16.	एस०टी० सांगला	2	1,99,353	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
17.	एस०टी० मोरंग	2	15,19,756	---	---	2071-01-104-00 (डी०सी०आर०जी०)
18.	एस०टी० निचर	3	9,91,645	---	---	2071-01-104-01-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
19.	डी०टी० कुल्लू	3	--	7,82,382	---	2071-01-105-01 (पेंशन) 2071-01-101-02 (पेंशन)
20.	एस०टी० निरमण्ड	1	4,68,400	---	---	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
21.	एस०टी० उदयपुर	3	2,20,048	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
22.	एस०टी० धुनाग	2	62,160	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
23.	एस०टी० कोटी	1	7,15,428	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
24.	एस०टी० ओट	1	49,288	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
25.	एस०टी० बलदाडा	3	7,873	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
26.	राजधानी कोष	4	8,69,865	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
27.	डी०टी० शिमला	1	--	18,03,72,374	--	2071-01-101-02 (पेंशन) 2071-01-105-01 (पेंशन)
28.	एस०टी० रोहडू	1	22,30,994	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
29.	एस०टी० ननखरी	2	10,42,315	--	--	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
30.	एस०टी० जुगा	5	22,278	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
31.	एस०टी० नेरवा	2	31,85,905	--	--	2071-01-104-00 (डी०सी०आर०जी०)
32.	एस०टी० चिरगांव	1	9,34,938	--	--	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
33.	एस०टी० पछड़	4	71,489	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
34.	एस०टी० अकी	2	43,923	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
35.	एस०टी० रामशहर	1	6,33,312	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
36.	डी०टी० ऊना	3	--	4,55,470	--	2071-01-101-02 (पेंशन)
37.	एस०टी० हरोली	4	94,891	--	--	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
38.	एस०टी० बंगाना	1	8,60,484	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
39.	एस०टी० अम्ब	1	5,92,655	--	--	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
योग			2,41,76,661 अर्थात् ₹ 2.42 करोड़	18,37,88,889 अर्थात् ₹ 18.38 करोड़	22,12,243 अर्थात् ₹ 0.22 करोड़	

**परिशिष्ट-3.1**

(संदर्भ परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 71)

**31 मार्च 2013 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र**

(₹ लाख)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1	2055- पुलिस	2008-09	1	25.00	1	25.00
		2010-11	1	25.00	1	25.00
			<b>2</b>	<b>50.00</b>	<b>2</b>	<b>50.00</b>
2	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2006-07	4	2.75	-	-
		2007-08	9	18.42	-	-
		2008-09	6	0.79	-	-
		2009-10	4	5.29	-	-
		2010-11	3	4.00	-	-
		2011-12	15	173.47	-	-
			<b>41</b>	<b>204.72</b>	-	-
3	2202- सामान्य शिक्षा	2009-10	78	210.73	75	21.58
		2010-11	5143	17448.16	2558	9312.73
		2011-12	17946	21506.68	11814	12114.59
			<b>23167</b>	<b>39165.57</b>	<b>14447</b>	<b>21448.89</b>
4	2204- क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	2008-09	3	1.05	-	-
		2009-10	1	2.33	-	-
		2010-11	2	277.57	1	217.57
		2011-12	21	377.75	21	377.75
			<b>27</b>	<b>658.70</b>	<b>22</b>	<b>595.33</b>
5	2205- कला एवं संस्कृति सेवाएं	2006-07	157	18.57	-	-
		2007-08	229	46.55	-	-
		2008-09	343	41.76	-	-
		2009-10	29	190.80	-	-
		2010-11	104	211.21	104	211.21
		2011-12	113	222.81	113	222.81
			<b>975</b>	<b>731.70</b>	<b>217</b>	<b>434.02</b>
<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>						
6	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2009-10	1	412.80	1	412.80
		2010-11	1	21.60	-	-
		2011-12	669	3950.54	1	170.00
			<b>671</b>	<b>4384.94</b>	<b>2</b>	<b>582.80</b>

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
7	2211-परिवार स्वास्थ्य	2009-10	19	1152.58	-	-
		2010-11	3	1500.00	-	-
		2011-12	5	3023.00	5	3023.00
			<b>27</b>	<b>5675.58</b>	<b>5</b>	<b>3023.00</b>
	<b>योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)</b>		<b>698</b>	<b>10060.52</b>	<b>7</b>	<b>3605.80</b>
	<b>शहरी विकास</b>					
8	2217- शहरी विकास	2008-09	21	2872.57	12	2192.49
		2009-10	24	6189.00	21	6128.00
		2010-11	41	3739.15	21	3076.09
		2011-12	43	10497.27	26	5525.50
			<b>129</b>	<b>23297.99</b>	<b>80</b>	<b>16922.08</b>
9	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	2	600.00
		2009-10	2	600.00	-	-
		2010-11	4	600.00	2	276.00
		2011-12	1	600.00	1	600.00
			<b>9</b>	<b>2400.00</b>	<b>5</b>	<b>1476.00</b>
	<b>योग (शहरी विकास)</b>		<b>138</b>	<b>25697.99</b>	<b>85</b>	<b>18398.08</b>
10	2220- सूचना एवं प्रचार	2010-11	1	13.38	-	-
		2011-12	-	-	-	-
			<b>1</b>	<b>13.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता</b>					
11	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2006-07	10	599.17	5	554.00
		2007-08	21	719.33	7	231.00
		2008-09	33	1121.92	22	470.36
		2009-10	32	1587.00	15	943.80
		2010-11	34	2497.32	21	1534.54
		2011-12	22	7166.00	22	7166.00
			<b>152</b>	<b>13690.74</b>	<b>92</b>	<b>10899.70</b>
12	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2006-07	18	50.53	-	-
		2007-08	50	603.65	38	503.59
		2008-09	98	510.95	84	463.96
		2009-10	141	707.45	93	590.63
		2010-11	265	1447.83	263	1441.23
		2011-12	624	1425.76	619	1412.46
			<b>1196</b>	<b>4746.17</b>	<b>1097</b>	<b>4411.87</b>

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
13	2250- अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2010-11	1	0.27	-	-
			1	0.27	-	-
	<b>योग (सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता)</b>		<b>1349</b>	<b>18437.18</b>	<b>1189</b>	<b>15311.58</b>
14	2230- श्रम एवं रोजगार	2010-11	1	5.00	-	-
		2011-12	1	5.00	1	5.00
			2	10.00	1	5.00
	<b>सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं</b>					
15	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2009-10	1	3.66	1	3.66
		2010-11	1	7.65	1	7.65
		2011-12	3	15.31	3	15.31
			5	26.62	5	26.62
16	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2009-10	4	170.57	2	65.57
		2010-11	3	82.01	2	71.45
		2011-12	3	51.53	3	51.53
			10	304.11	7	188.55
	<b>योग (सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं)</b>		<b>15</b>	<b>330.73</b>	<b>12</b>	<b>215.17</b>
17	2401- फसल कर्म	2010-11	1	6.50	-	-
		2011-12	32	890.00	27	825.50
			33	896.50	27	825.50
18	2403- पशुपालन	2007-08	1	50.00	1	50.00
		2008-09	1	7.25	-	-
		2009-10	7	105.00	-	-
		2010-11	18	197.74	18	197.74
		2011-12	18	2290.95	18	2290.95
			45	2650.94	37	2538.69
19	2404- डेयरी विकास	2011-12	3	500.00	-	-
			3	500.00	-	-
20	2405- मत्स्यपालन	2011-12	9	688.80	1	0.80
			9	688.80	1	0.80
21	2408- खाद्य भण्डारण एवं माल गोदाम	2010-11	5	19.88	1	2.49
		2011-12	15	36.90	8	20.40
			20	56.78	9	22.89
22	2425- सहकारिता	2010-11	33	24.56	8	7.06
		2011-12	58	170.46	44	100.96
			91	195.02	52	108.02



क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
	<b>ग्रामीण विकास</b>					
23	2216-आवास	2007-08	6	79.56	2	25.28
		2008-09	18	398.59	18	398.59
		2009-10	93	515.60	93	515.60
		2010-11	65	1176.24	58	1104.70
		2011-12	60	1330.65	60	1330.65
			<b>242</b>	<b>3500.64</b>	<b>231</b>	<b>3374.82</b>
24	2501- विशिष्ट कार्यक्रम	2007-08	6	159.12	-	-
		2008-09	18	141.53	18	141.53
		2009-10	29	406.20	20	366.13
		2010-11	46	710.52	27	562.00
		2011-12	61	1648.71	61	1648.71
			<b>160</b>	<b>3066.08</b>	<b>126</b>	<b>2718.37</b>
25	2505- ग्रामीण रोजगार	2008-09	2	816.89	2	816.89
		2009-10	2	224.04	2	224.04
		2010-11	-	-	-	-
		2011-12	18	4930.67	9	284.87
			<b>22</b>	<b>5971.60</b>	<b>13</b>	<b>1325.80</b>
26	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2008-09	408	11637.91	162	1908.92
		2009-10	478	10133.60	409	9520.61
		2010-11	605	15945.28	564	15682.28
		2011-12	383	19765.40	353	19652.67
			<b>1874</b>	<b>57482.19</b>	<b>1488</b>	<b>46764.48</b>
	<b>योग (ग्रामीण विकास)</b>		<b>2298</b>	<b>70020.51</b>	<b>1858</b>	<b>54183.47</b>
28	2801- विद्युत	2011-12	2	212.00	2	212.00
			<b>2</b>	<b>212.00</b>	<b>2</b>	<b>212.00</b>
29	2810- ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत	2011-12	2	255.00	-	-
			<b>2</b>	<b>255.00</b>	-	-
30	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2005-06	1	0.03	-	-
		2006-07	499	27.99	-	-
		2007-08	65	17.38	-	-
		2008-09	-	-	-	-
		2009-10	110	1039.44	86	469.95
		2010-11	110	1076.57	87	728.23
		2011-12	101	1759.94	100	1759.83
			<b>886</b>	<b>3921.35</b>	<b>273</b>	<b>2958.01</b>

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
31	3055-पथ परिवहन	2011-12	3	7325.60	-	-
			<b>3</b>	<b>7325.60</b>	-	-
32	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2010-11	1	13.07	-	-
			<b>1</b>	<b>13.07</b>	-	-
33	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2010-11	1	5.20	-	-
		2011-12	3	16.81	-	-
			<b>4</b>	<b>22.01</b>	-	-
34	3452- पर्यटन	1998-99	1	137.00	1	137.00
		2010-11	7	74.51	7	74.51
		2011-12	16	706.62	16	706.62
			<b>24</b>	<b>918.13</b>	<b>24</b>	<b>918.13</b>
35	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2008-09	1	49.59	1	49.59
		2009-10	7	273.52	7	273.52
		2010-11	20	469.09	20	469.09
		2011-12	51	1197.16	51	1197.16
			<b>79</b>	<b>1989.36</b>	<b>79</b>	<b>1989.36</b>
36	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन (वन्य लेखा)	2008-09	1	1.20	-	-
		2009-10	2	57.01	-	-
		2010-11	5	97.80	-	-
		2011-12	24	787.82	7	508.42
			<b>32</b>	<b>943.83</b>	<b>7</b>	<b>508.42</b>
37	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (वन्य लेखा)	2011-12	32	9552.01	32	9552.01
		2010-11	4	25.00	-	-
		2011-12	4	25.00	4	25.00
			<b>40</b>	<b>9602.01</b>	<b>36</b>	<b>9577.01</b>
	कुल योग		<b>29987</b>	<b>195571.40</b>	<b>18387</b>	<b>133906.16</b>

## परिशिष्ट – 3.2

(संदर्भ परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 72 तथा 73)

## स्वायत्त निकायों के अभिलेखों की प्रास्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब ( महीनों में )	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करना	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब
1.	हि0प्र0 पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 के बाद से	2011-12	2 महीने	2011-12	अभी रखा जाना है	9 महीने
2.	हि0प्र0 राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण, शिमला	विधि सेवाएं प्राधिकरण	2011-12	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
3.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, शिमला	अधिनियम, 1987	2011-12	½ महीना	2011-12	तदैव	तदैव
4.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, रामपुर	की धारा 18(2)	2011-12	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
5.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, सोलन	के अनुरूप लेखा	2011-12	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
6.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, नाहन	परीक्षा प्रचालित	2011-12	एक महीना	2011-12	तदैव	तदैव
7.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, ऊना	की जा रही है।	2011-12	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
8.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, हमीरपुर		2012-13	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
9.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, धर्मशाला स्थित कांगडा		2012-13	एक महीना	2011-12	तदैव	तदैव
10.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, चम्बा		2012-13	1½ महीना	2011-12	तदैव	तदैव
11.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, मण्डी		2012-13	एक महीने	2011-12	तदैव	तदैव
12.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर		2011-12	2 महीने	2011-12	तदैव	तदैव
13.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, कुल्लू		2011-12	9 महीने	अभी जारी किए जाने है*	--	--
14.	हि0प्र0 भवन एवं निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2011-12 के बाद	2011-12	9 महीने	अभी जारी किए जाने है*	--	--

\*लेखे 9 महीनों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे।

परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 74)

दुर्विनियोजन/हानि तथा चोरी आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15		15 से 20		20 से 25		25 वर्ष से अधिक		मामलों की संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1	शिक्षा	2	2.55	3	2.9	--	--	--	--	--	--	1	0.59	6	6.04
2	ग्रामीण विकास	1	4.68	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4.68
3	कृषि	--	--	2	9.46	--	--	--	--	--	--	--	--	2	9.46
4	बागवानी	1	1.54	1	0.06	1	1.29	--	--	--	--	--	--	3	2.89
5	भू-राजस्व	--	--	--	--	--	--	1	2.57	--	--	--	--	1	2.57
6	पुलिस	1	0.08	2	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1.59
7	मत्स्यपालन	1	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1.28
8	राजस्व	--	--	1	0.31	--	--	--	--	--	--	1	0.02	2	0.33
9	गृह रक्षा	--	--	--	--	2	25.37	--	--	--	--	1	0.05	3	25.42
10	पशुपालन	--	--	1	0.17	--	--	--	--	--	--	2	0.93	3	1.1
11	योजना निदेशक	--	--	1	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.97
12	स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.95
13	वन	1	0.63	1	2.38	--	--	--	--	--	--	2	0.40	4	3.41
14	लोक निर्माण	--	--	--	--	4	5.44	3	3.04	1	0.55	7	2.14	15	11.17
15	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	--	--	1	0.89	2	7.71	--	--	1	0.25	1	0.06	5	8.91
	<b>योग:</b>	<b>7</b>	<b>10.76</b>	<b>15</b>	<b>21.6</b>	<b>9</b>	<b>39.81</b>	<b>4</b>	<b>5.61</b>	<b>2</b>	<b>0.80</b>	<b>15</b>	<b>4.19</b>	<b>52</b>	<b>82.77</b>

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (लाख में)

## परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद3.4;पृष्ठ 74)

चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा

(रुंलाख)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	4	3.57	2	2.47	6	6.04
ग्रामीण विकास	2	4.68	0	0.00	2	4.68
कृषि	0	0.00	2	9.46	2	9.46
भू-राजस्व	0	0.00	1	2.57	1	2.57
बागवानी	1	0.06	2	2.83	3	2.89
मत्स्यपालन	1	1.28	0	0.00	1	1.28
पुलिस	0	0.00	3	1.59	3	1.59
राजस्व	1	0.31	1	0.02	2	0.33
गृह रक्षा	0	0	3	25.42	3	25.42
पशुपालन	1	0.17	2	0.93	3	1.10
योजना निदेशक	1	2.97	0	0	1	2.97
स्वास्थ्य	0	0	1	0.95	1	0.95
वन	0	0	4	3.41	4	3.41
लोक निर्माण	2	0.77	13	10.40	15	11.17
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.25	4	8.66	5	8.91
<b>योग:</b>	<b>14</b>	<b>14.06</b>	<b>38</b>	<b>68.71</b>	<b>52</b>	<b>82.77</b>

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 75)

गत तीन वर्षों के लिए मुख्य उच्चत शीर्षों के अंतर्गत उच्चत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन व लेखा कार्यालय-उच्चत	25.24	20.24	24.12	15.61	32.12	23.87
शुद्ध	5.00 डेबिट		8.51 डेबिट		8.25 डेबिट	
102-उच्चत लेखा शीर्ष (सीविल)	1,15.37	99.53	1,14.34	78.29	138.36	125.42
शुद्ध	15.84 डेबिट		36.05 डेबिट		12.94 डेबिट	
107-नकद समायोजन उच्चत लेखा	3.26	2.42	0.04	0.02	0.02	0.00
शुद्ध	0.84 डेबिट		0.02 डेबिट		0.02 डेबिट	
109-रिजर्व बैंक उच्चत-मुख्यालय	(-)1.32	(-)0.10	(-) 0.68	1.19	1.28	1.76
शुद्ध	1.22 क्रेडिट		1.87 क्रेडिट		0.48 क्रेडिट	
110-रिजर्व बैंक उच्चत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	4.19	0.20	11.78	0.93	92.33	92.31
शुद्ध	3.99 डेबिट		10.85 डेबिट		0.02 डेबिट	
112-स्रोत पर काटा गया कर उच्चत	2,39.60	2,69.19	2,03.84	2,20.58	227.46	255.56
शुद्ध	29.59 क्रेडिट		16.74 क्रेडिट		28.10 क्रेडिट	
129-सामग्री क्रय समायोजन उच्चत लेखा	58.09	3,58.47	1,52.66	3,72.84	80.40	331.81
शुद्ध	3,00.38 क्रेडिट		2,20.18 क्रेडिट		2,51.41 क्रेडिट	

## परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: परिच्छेद3.6; पृष्ठ76)

## 2012-13 के दौरान लघु शीर्ष800- 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशतता
1	0045 वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	198.88	331.72	59.95
2	0057 आपूर्ति एवं निपटान	0.02	0.02	100.00
3	0058 स्टेशनरी एवं मुद्रण	3.60	6.16	58.44
4	0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	36.14	45.71	79.06
5	0211 परिवार कल्याण	0.02	0.02	100.00
6	0217 शहरी विकास	6.05	6.05	100.00
7	0230 श्रम तथा रोजगार	3.65	6.74	54.15
8	0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3.80	5.76	65.97
9	0250 अन्य सामाजिक सेवाएं	0.12	0.12	100.00
10	0407 पौधारोपण	0.02	0.02	100.00
11	0408 खाद्य भण्डार एवं भण्डारण	0.07	0.07	100.00
12	0425 सहकारिता	2.83	3.24	87.34
13	0506 भूमि सुधार	0.33	0.33	100.00
14	0515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.01	3.10	64.83
15	0575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.38	0.38	100.00
16	0700 प्रमुख सिंचाई	0.28	0.28	100.00
17	0801 विद्युत	637.21	637.15	100.01*
18	0851 ग्राम एवं लघु उद्योग	0.26	0.52	50.00
19	0852 उद्योग	6.17	6.17	100.00
20	1054 सड़कें और पुल	10.89	10.94	99.54
21	1055 सड़क परिवहन	0.92	0.92	100.00
22	1425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1.30	1.30	100.00
23	1452 पर्यटन	0.20	0.26	76.92
24	1456 नागरिक आपूर्ति	0.03	0.03	100.00
	<b>योग</b>	<b>915.17</b>	<b>1067.00</b>	<b>85.77</b>

\*₹0.06 करोड़ का प्रत्यक्ष वापसी के कारण आधिक्य

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	राज्य सकल घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे में चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	ऋण स्थिरीकरण	स्थिरता हेतु आवश्यक शर्त स्पष्ट करती हैं कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर ब्याज दर अथवा लोक उधार की लागत से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा सामान्य रूप से ऋणात्मक है। यदि दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार) दिया गया हो तो ऋण धारणीयता स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा विस्तार सहित प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी तथा यदि यह धनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में अन्ततः गिरावट होगी।
7.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।



क्रम संख्या	शब्द	विवरण
8.	उधार निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।
9.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
10.	गारंटियां	गारंटियां कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।